UPSC Mains 2025

हल प्रश्न पत्र

सामान्य अध्ययन पेपर-IV

C-171/2, Block-A, Sector-15, Noida

641, Mukherjee Nagar, Opp. Signature View Apartment, New Delhi

21, Pusa Road, Karol Bagh New Delhi

Tashkent Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh

Tonk Road, Vasundhra Colony, Jaipur, Rajasthan

Burlington Arcade Mall, Burlington Chauraha, Vidhan Sabha Marg, Lucknow

12, Main AB Road, Bhawar Kuan, Indore, Madhya Pradesh

E-mail : care@groupdrishti.in

Phone: +91-87501-87501

Ethics - I

1. (a) मौजूदा डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने संचार और बातचीत के तरीके में क्रांति ला दी है। हालाँकि इसने कई नैतिक मुद्दे और चनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। इस संबंध में मूल नैतिक दुविधाओं का वर्णन कीजिये। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) 10

हल करने का दृष्टिकोण:

- सोशल मीडिया के क्रांतिकारी प्रभाव और इसके नैतिक महत्त्व का परिचय दीजिये।
- गोपनीयता, भ्रामक जानकारी, साइबरबुलिंग जैसी प्रमुख नैतिक दुविधाओं को वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिये।
- नियामक और संस्थागत प्रतिक्रियाओं पर चर्चा कीजिये।
- बहु-हितधारक नैतिक ढाँचे की आवश्यकता के साथ निष्कर्ष लिखिये।

उत्तर: सोशल मीडिया ने भारत में संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, यहाँ **80 मिलियन** से अधिक उपयोगकर्त्ता **व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और X** जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। यह लोकतांत्रिक भागीदारी, सक्रियता और सूचना-साझाकरण का एक सशक्त माध्यम बन गया है। हालाँकि इसके तेज़ी से विस्तार ने शासन और समाज के समक्ष गंभीर नैतिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं।

वर्तमान डिजिटल युग में प्रमुख नैतिक दुविधाएँ

- **निजता और डेटा सुरक्षा:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्राय: उपयोगकर्त्ता की सहमति के बिना ही विशाल व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, सोशल मीडिया ऐप प्राय: नेटवर्क मैप बनाने के लिये उपयोगकर्त्ता की पूरी संपर्क सूची अपलोड कर देते हैं। यह डेटा संग्रह व्यक्ति की सहमति या जानकारी के बिना होता है क्योंकि उपयोगकर्त्ता नियम और शर्तों को ठीक से पढ़े बिना ही 'अनुमति दें' पर टैप कर देता है।
- **भ्रामक जानकारी और फेक न्यूज़:** विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की वर्ष 2024 की ***ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट*** के अनुसार भारत को भ्रामक जानकारी और दुष्प्रचार के जोखिम में सबसे ऊपर स्थान दिया गया।
  - उदाहरण के लिये, कोविड-19 महामारी के दौरान मिथ्या उपचारों से जुड़े व्हाट्सऐप फॉरवर्ड्स ने लोक स्वास्थ्य के लिये संकट उत्पन्न करने का कार्य किया था।

- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** की रिपोर्ट के अनुसार भ्रामक जानकारी के प्रसार से जुड़े मामलों में 214% की वृद्धि दर्ज की गई है।

- **साइबरबुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य:** डिजिटल उत्पीड़न (Digital Harassment), विशेष रूप से संवेदनशील समूहों को प्रभावित करता है। भारतीय युवाओं में सोशल मीडिया ट्रोलिंग से जुड़े आत्महत्या के मामले इस बढ़ती चिंता को स्पष्ट करते हैं।
  - मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी 16 वर्षीय कंटेंट क्रिएटर प्रियांशु ने लगातार साइबरबुलिंग का सामना करने के बाद वर्ष 2023 में आत्महत्या कर ली।
- **राजनीतिक हेर-फेर:** चुनावों के दौरान बॉट नेटवर्क और समन्वित अभियान जनमत को प्रभावित करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक सत्यनिष्ठा पर खतरा उत्पन्न होता है।
  - **कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल (2018)** ने उजागर किया कि वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान भारतीय उपयोगकर्त्ताओं का डेटा राजनीतिक हेर-फेर (लक्षित राजनीतिक विज्ञापन और संदेशों) के लिये एकत्र किया गया था, जिससे निजता संबंधी गंभीर चिंताएँ सामने आईं।

सोशल मीडिया **दोहरी प्रकृति वाला मंच** है- यह सशक्तीकरण भी करता है और हेर-फेर व हानि भी पहुँचा सकता है। नैतिक दुविधाएँ इसलिये उत्पन्न होती हैं क्योंकि तकनीक हमारी नैतिक और नियामक रूपरेखाओं से कहीं अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रही है।

इन चुनौतियों का समाधान **बहु-हितधारक दृष्टिकोण** से ही संभव है, जिसमें उपयोगकर्त्ताओं, कॉर्पोरेशनों व राज्य की भागीदारी हो तथा मार्गदर्शक मूल्य **सत्य, गरिमा, न्याय और उत्तरदायित्व** हों। **सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (IT नियम 2021)** के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण, सामग्री संयम तथा अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

1. (b) "संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक मनोभाव नहीं है, बल्कि नागरिक शिक्षा और कानून के शासन के पालन का परिणाम है।" सिविल सेवक के लिये संवैधानिक नैतिकता का परीक्षण करते हुए लोक प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिये। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) 10

हल करने का दृष्टिकोण:
- अंबेडकर द्वारा परिकल्पित संवैधानिक नैतिकता के अर्थ और उसके न्यायिक विकास की व्याख्या कीजिये।
- शिक्षा, शासन, जवाबदेही और अधिकारों के संरक्षण के माध्यम से इसे बनाए रखने में सिविल सेवकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिये।
- शासन को नागरिक-केंद्रित लोकतंत्र में बदलने में इसके महत्त्व पर बल देते हुए निष्कर्ष लिखिये।

उत्तर: जॉर्ज ग्रोट द्वारा प्रतिपादित संवैधानिक नैतिकता, स्वाभाविक प्रवृत्ति से परे है और इसके लिये सचेतन विकास की आवश्यकता होती है। **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** ने कहा था कि संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक मनोभाव नहीं है, बल्कि शिक्षा और कानून के शासन के पालन के माध्यम से विकसित होती है। इसका तात्पर्य संविधान में **निहित मूल्यों, अर्थात् न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व** के प्रति निष्ठा से है, जो केवल कानूनी प्रावधानों के पालन से कहीं अधिक है।

संवैधानिक नैतिकता के अनुरक्षण में सिविल सेवकों की भूमिका

- **नागरिक शिक्षा और संस्थागत प्रशिक्षण:** संघीय शासन व्यवस्था में सिविल सेवा अधिकारी मुख्य रूप से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार और मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा सामूहिक उत्तरदायित्व का आधार बनाते हैं।
  - सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान, जैसे कि *LBSNAA*, संवैधानिक मूल्यों को अपने पाठ्यक्रम में समाहित करते हैं, जिससे नौकरशाह केवल प्रशासक न रहकर संवैधानिक सिद्धांतों के संरक्षक बन जाते हैं।
- **सुशासन को बढ़ावा देना:** सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) नागरिकों को सशक्त बनाता है, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, जिससे लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में जनता के लिये कार्य करता है।
  - सिविल सेवक RTI के क्रियान्वयन में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। प्रतिवर्ष **7.5 लाख से अधिक** RTI आवेदन दायर होना यह दर्शाता है कि जनता जवाबदेही के प्रति कितनी जागरूक है।

- ***आदर्श हाउसिंग सोसायटी*** प्रकरण इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार RTI ने भ्रष्टाचार का पता लगाया, जिसमें सिविल सेवकों ने न केवल भ्रष्टाचार को उजागर करने बल्कि सुधार करने में भी अहम भूमिका निभाई।
- **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** सिविल सेवक जनशक्ति के न्यासी होते हैं। MGNREGA के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण और RTI के तहत सक्रिय प्रकटीकरण जैसी व्यवस्थाएँ नागरिकों को प्रशासन को जवाबदेह ठहराने का अधिकार देती हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान को प्रतिबिंबित करती हैं।
- **उपेक्षित समूहों के अधिकारों की रक्षा:** संवैधानिक नैतिकता कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति और निष्पक्षता की मांग करती है। पीएम पोषण जैसी कल्याणकारी योजनाओं या आरक्षण को लागू करने वाले सिविल सेवक सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करते हैं।

इस प्रकार, **संवैधानिक नैतिकता** सहज नहीं होती, बल्कि सिविल सेवा प्रशिक्षण, नैतिक नेतृत्व और लोक सेवा मूल्यों के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के माध्यम से विकसित होती है। संवैधानिक नैतिकता, जब लोक प्रशासन में अंतर्निहित होती है, तो शासन को सत्ता-केंद्रित प्रक्रिया से नागरिक-केंद्रित सेवा में परिवर्तित कर देती है, जिससे लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने भी संवैधानिक सिद्धांतों के पालन पर बल दिया था।

2. (a) कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज़ ने एक बार कहा था, "युद्ध दूसरे माध्यमों से की जाने वाली एक कूटनीति है।" समकालीन भू-राजनीतिक संघर्ष के वर्तमान संदर्भ में उपर्युक्त कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) (10)

हल करने का दृष्टिकोण:

- राजनीति के विस्तार के रूप में युद्ध पर क्लॉजविट्ज़ के कथन का परिचय दीजिये और इसके मूल विचार की व्याख्या कीजिये।
- युद्ध के विभिन्न प्रकारों जैसे- पारंपरिक, प्रॉक्सी, साइबर एवं हाइब्रिड आदि की प्रासंगिकता का उदाहरणों के साथ समकालीन संदर्भ परीक्षण कीजिये।
- आज के परस्पर जुड़े विश्व में इसकी आंशिक वैधता का आकलन करते हुए निष्कर्ष लिखिये, जहाँ कूटनीति, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी "अन्य साधनों से की जाने वाली राजनीति" को पुनर्परिभाषित करते हैं।

उत्तर: प्रशिया के रणनीतिकार **कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज़** ने तर्क दिया था कि "युद्ध दूसरे माध्यमों से की जाने वाली एक कूटनीति है," इस बात पर ज़ोर देते हुए कि **युद्ध कोई अलग गतिविधि नहीं है, बल्कि राजनीतिक कूटनीति का विस्तार है, जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब कूटनीति असफल हो जाती है।** हालाँकि 21वीं सदी में, युद्ध का स्वरूप बदला है किंतु अंतर्निहित राजनीतिक उद्देश्य समान बने हुए हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त कथन की प्रासंगिकता

- **पारंपरिक प्रासंगिकता**
  - **रूस-यूक्रेन संघर्ष (2022-वर्तमान):** रूस की सैन्य कार्रवाई उसके राजनीतिक उद्देश्यों को दर्शाती है, जैसे रणनीतिक गहराई सुनिश्चित करना और NATO के विस्तार का प्रतिरोध करना।
  - **भारत-पाकिस्तान संघर्ष:** कारगिल युद्ध (1999) ने यह दिखाया कि कैसे नियंत्रण रेखा (LoC) की यथास्थिति को चुनौती देने जैसे राजनीतिक उद्देश्य सैन्य आक्रामकता को आकार देते हैं।
- **गैर-पारंपरिक युद्ध**
  - **प्रॉक्सी युद्ध:** पश्चिम एशिया के संघर्ष (सीरिया, यमन) यह दर्शाते हैं कि कैसे राज्य प्रॉक्सी के माध्यम से अपने भू-राजनीतिक लक्ष्यों को साधते हैं।
  - **साइबर वॉरफेयर:** भारत सरकार की ***राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति*** में राज्य-प्रायोजित साइबर हमलों की बढ़ती घटनाओं को नए "राजनीतिक युद्ध" के रूप में रेखांकित किया गया है।
  - **हाइब्रिड वॉरफेयर:** चीन द्वारा **"थ्री वॉरफेयर स्ट्रैटेजी"** (मनोवैज्ञानिक, कानूनी और मीडिया वॉरफेयर) का उपयोग दक्षिण चीन सागर के विवादों में किया जा रहा है।
- **युद्ध में राजनीति का बदलता स्वरूप**
  - **मानवतावादी चिंताएँ:** संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें बताती हैं कि आज के युद्ध में 90% हताहत नागरिक हैं, जो पहले के सदियों से भिन्न है। यह युद्ध को केवल "राजनीति की निरंतरता" के रूप में देखने की धारणा को जटिल बनाता है।
  - **वैश्विक शासन:** संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून (जिनेवा कन्वेंशन्स) जैसे संस्थान युद्ध के राजनीतिक उपयोग को सीमित करते हैं।

- **आर्थिक अंतरनिर्भरता:** विश्व व्यापार संगठन के आँकड़ों के अनुसार, वैश्विक व्यापार युद्ध और प्रतिबंध प्रत्यक्ष युद्ध के राजनीतिक विकल्प बन गए हैं।

क्लॉजविट्ज़ की उक्ति आंशिक रूप से प्रासंगिक है, अर्थात् युद्ध अभी भी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जैसा कि यूक्रेन या मध्य पूर्व के संघर्षों में देखा गया है। फिर भी परमाणु प्रतिरोध, साइबर उपकरणों और बहुपक्षीय कूटनीति से परस्पर जुड़े विश्व में युद्ध पर निरंतर प्रतिबंध लग रहे हैं। आज, "अन्य साधनों से की जाने वाली राजनीति" न केवल सैन्य संघर्षों के माध्यम से, बल्कि **आर्थिक प्रतिबंधों, साइबर अभियानों और इनफार्मेशन वारफेयर** के माध्यम से भी की जाती है, जो एक परिवर्तित वैश्विक व्यवस्था को दर्शाता है।

2. (b) राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंज़ूरी पर विवादों से संबंधित नैतिक दुविधाओं का परीक्षण कीजिये। (150 शब्दों में) 10

हल करने का दृष्टिकोण:

- सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के संदर्भ और उनके कारण उत्पन्न नैतिक दुविधाओं का परिचय दीजिये।
- प्रासंगिक उदाहरणों के साथ मुआवज़ा बनाम सुरक्षा, आजीविका बनाम रणनीतिक आवश्यकताएँ, पारिस्थितिकी बनाम विकास और जवाबदेही के मुद्दों जैसी प्रमुख दुविधाओं पर चर्चा कीजिये।
- नैतिक शासन की आवश्यकता पर बल देते हुए निष्कर्ष लिखिये।

उत्तर: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये अक्सर हिमालय, पूर्वोत्तर और तटीय क्षेत्रों जैसे **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों** में सड़क, बाँध तथा सैन्य प्रतिष्ठानों जैसी **बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की आवश्यकता होती है। ये परियोजनाएँ रक्षा तैयारियों को संपुष्ट करती हैं, लेकिन साथ ही मुआवज़े, विस्थापन और पर्यावरणीय स्थिरता** से जुड़ी नैतिक दुविधाएँ भी उत्पन्न करती हैं।

इसमें शामिल नैतिक दुविधाएँ:

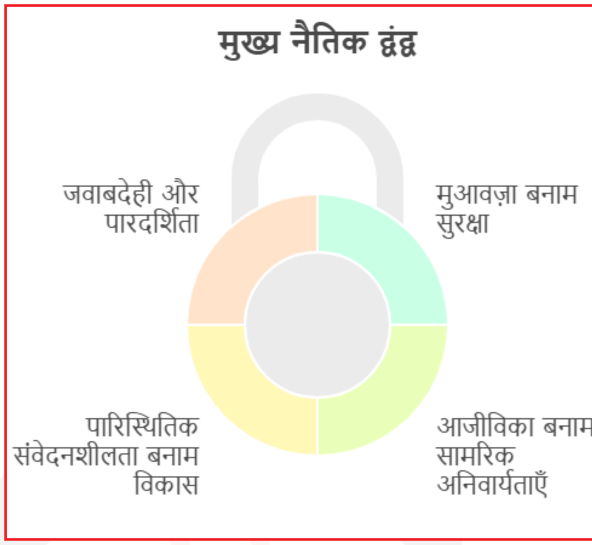

- **मुआवज़ा बनाम सुरक्षा**
  - जब रक्षा या अवसंरचना परियोजनाओं हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो अक्सर मुआवज़े का वितरण विलंबित, अपर्याप्त या असमान रूप से किया जाता है। यह स्थिति एक गंभीर नैतिक प्रश्न उठाती है कि क्या **राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे सामूहिक हितों की पूर्ति के लिये व्यक्तिगत न्याय और अधिकारों से समझौता किया** जाना उचित है।
    - राष्ट्रीय हित में त्वरित निष्पादन की आवश्यकता होती है, **प्रभावित जनजातीय समुदायों को अक्सर विलंब से या अपर्याप्त मुआवज़ा मिलता है।**
  - यहाँ **उपयोगितावादी नैतिकता,** जो राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु अधिकतम सामूहिक हित को प्राथमिकता देती है और **वितरणात्मक न्याय,** जो विस्थापित परिवारों के साथ समानता एवं उचित व्यवहार पर ज़ोर देता है, के बीच एक नैतिक द्वंद्व उत्पन्न होता है।
  - **अरुणाचल प्रदेश** में **सीमा सड़क संगठन (BRO)** की परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहित की गई, किंतु जनजातीय समुदायों ने मुआवज़ा मिलने में लंबे विलंब की शिकायत दर्ज की।

- **आजीविका बनाम रणनीतिक अनिवार्यताएँ**
  - मूल निवासी और सीमावर्ती समुदाय अपनी आजीविका के लिये वनों, नदियों तथा भूमि पर निर्भर रहते हैं। विकासात्मक परियोजनाएँ उन्हें विस्थापित कर सकती हैं, उनकी संस्कृति और जीवन-निर्वाह के साधनों को जोखिम में डाल सकती हैं तथा **सुरक्षा-केंद्रित विकास एवं सांस्कृतिक अधिकारों के बीच टकराव उत्पन्न कर सकती हैं।**
  - **उदाहरण: अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी** के किनारे जलविद्युत परियोजनाओं ने **आदि और गालो जनजातियों को** विस्थापित कर दिया, जिससे उनकी पारंपरिक आजीविका बाधित हो गई।
- **पारिस्थितिक संवेदनशीलता बनाम विकास**
  - संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों में बुनियादी ढाँचा भूस्खलन, बाढ़ और जैवविविधता की हानि को बढ़ाता है। नैतिक दुविधा तब उत्पन्न होती है जब **अल्पकालिक सुरक्षा अनिवार्यताएँ दीर्घकालिक पारिस्थितिक सुरक्षा से समझौता करती हैं।**
  - उदाहरण: **उत्तराखंड में चारधाम राजमार्ग परियोजना**, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री नामक चार पवित्र तीर्थस्थलों को जोड़ने वाली एक सड़क निर्माण पहल है, के कारण वनों की कटाई हुई और लगातार भूस्खलन हुआ।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता**
  - उचित पुनर्वास का अभाव, ठेकेदारों के लिये भूमि का बढ़ा-चढ़ाकर मूल्यांकन या सामुदायिक अभिव्यक्तियों को दरकिनार करना **प्रक्रियागत न्याय को कमज़ोर करता है।**
  - **नगालैंड** के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समूहों ने यह आरोप लगाया कि रक्षा परियोजनाओं हेतु दिये गए मुआवज़े का दुरुपयोग हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जनता का सरकार पर विश्वास कम हुआ।

निष्कर्ष

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास परियोजनाएँ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये तो आवश्यक हैं, किंतु इन्हें **नैतिक शासन के सिद्धांतों द्वारा संचालित होना चाहिये**, जैसे- न्यायसंगत मुआवज़ा, सामुदायिक सहभागिता, पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय और दीर्घकालिक स्थिरता। राज्य का उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब उसे **न्याय और गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्यों के साथ संतुलित किया जाए,** ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा हाशिये पर स्थित नागरिकों और संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र की कीमत पर न प्राप्त की जाए।

3. महान विचारकों के तीन उद्धरण नीचे दिये गए हैं। वर्तमान संदर्भ में, प्रत्येक उद्धरण आपको क्या संप्रेषित करता है?

(प्रत्येक का उत्तर 150 शब्दों में लिखिये)

3. (a) "जो लोग मुसीबत में भी शांत रहते हैं, मुसीबत स्वयं ही परेशान होगी।" - तिरुवल्लुवर (10 अंक)

हल करने का दृष्टिकोण:

- तिरुवल्लुवर के उद्धरण का अर्थ समझाते हुए और प्रतिकूल परिस्थितियों में समता पर इसके ध्यान को समझाते हुए उत्तर लिखिये।
- अनुकूलन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिक निर्णय निर्माण और आध्यात्मिक ज्ञान जैसे आयामों के माध्यम से उदाहरणों के साथ इसकी व्यावहारिक प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।
- निष्कर्ष में यह रेखांकित कीजिये कि आज के जटिल और चुनौतीपूर्ण विश्व में भी तिरुवल्लुवर की यह शिक्षा अपनी कालातीत प्रासंगिकता रखती है।

उत्तर: तमिल संत-कवि **तिरुवल्लुवर ने** तिरुक्कुरल में लिखा है: "जो लोग मुसीबत में भी शांत रहते हैं, मुसीबत स्वयं ही परेशान होगी।" यह उद्धरण **समभाव के गुण पर ज़ोर देता है** अर्थात् विपरीत परिस्थितियों में शांत, संयमित और दृढ़ रहने की क्षमता। यह बताता है कि **आंतरिक शक्ति और संतुलन से चुनौतियों का सामना करने पर उनकी तीव्रता कम हो जाती है।**

- **अनुकूलन और मानसिक शक्ति:** प्रतिकूलता अवश्यंभावी है, लेकिन जो अविचल रहता है, वह विचारों की स्पष्टता से उस पर विजय पा सकता है।
  - उदाहरण: कोविड-19 महामारी के समय, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों ने अनिश्चित हालात में भी संयम बनाए रखा, लोगों में आशा जगाई और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की।
- **नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता:** जो नेता संयमित रहकर तनाव का सामना करते हैं और धैर्य से प्रतिक्रिया देते हैं, वे घबराहट को दूर रखते हुए अपने आचरण से दूसरों को प्रोत्साहित तथा प्रेरित करते हैं।
  - उदाहरण: पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने वर्ष 2013 के मुद्रा संकट के दौरान भारत की अर्थनीति को संयमपूर्वक प्रबंधित किया, जिसने निवेशकों का विश्वास बहाल किया।
- **नैतिक निर्णयन:** अशांत मन जल्दबाज़ी में निर्णय लेने की ओर ले जाता है, जबकि समभाव निष्पक्ष और नैतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

- उदाहरण: वर्ष 2018 की केरल बाढ़ जैसी आपदा स्थितियों में, जिन अधिकारियों ने धैर्य बनाए रखा, वे कठिन दबावों के बीच भी राहत कार्यों में सफल समन्वय कर पाए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई।

- **आध्यात्मिक और नैतिक आयाम:** यह उद्धरण *भगवद्गीता के स्थितप्रज्ञ* (स्थिर ज्ञान) के **स्थिर सिद्धांत** और विचार को भी दर्शाता है। अविचलित रहने से दुख की "परेशानी" ही समाप्त हो जाती है।

तिरुवल्लुवर का ज्ञान शाश्वत है। आज के तेज़ी से बदलते विश्व में, जो महामारियों, संघर्षों और व्यक्तिगत तनावों से भरा है, **संकट में शांत रहने की क्षमता** एक नैतिक तथा व्यावहारिक आवश्यकता है। **अनुकूलन, भावनात्मक संतुलन और नैतिक स्पष्टता विकसित करके**, व्यक्ति "मुसीबत को मुश्किल" बना सकते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को विकास एवं सेवा के अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं।

3. (b) "मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना जीवन बदल सकता है।" - विलियम जेम्स (10 अंक)

हल करने का दृष्टिकोण:

- विलियम जेम्स के इस विचार को समझाते हुए बताइये कि दृष्टिकोण और मानसिकता मानव भाग्य को किस प्रकार आकार देते हैं।
- प्रासंगिक उदाहरणों के साथ व्यक्तिगत, सामाजिक और दार्शनिक आयामों के माध्यम से अवधारणा का विश्लेषण कीजिये।
- सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की शाश्वत प्रासंगिकता पर ज़ोर देते हुए निष्कर्ष दीजिये।

उत्तर: अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक **विलियम जेम्स ने** मानव मन की परिवर्तनकारी शक्ति पर ज़ोर दिया। उनके कथन में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि अपने **दृष्टिकोण, धारणाओं और विचारों के स्वरूप को बदलकर**, व्यक्ति अपने जीवन पथ को नया आकार दे सकता है।

संकल्पनात्मक समझ

जेम्स, जिन्हें "अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक" माना जाता है, ने अपनी रचना *"मनोविज्ञान के सिद्धांत"* (1890) में तर्क दिया कि विचार, व्यवहार और कल्याण को प्रभावित करते हैं। यह आधुनिक **संज्ञानात्मक-व्यवहार मनोविज्ञान के अनुरूप है**, जहाँ नकारात्मक दृष्टिकोणों को बदलने से सकारात्मक जीवन परिणाम प्राप्त होते हैं।

मानव मन की परिवर्तनकारी शक्ति:

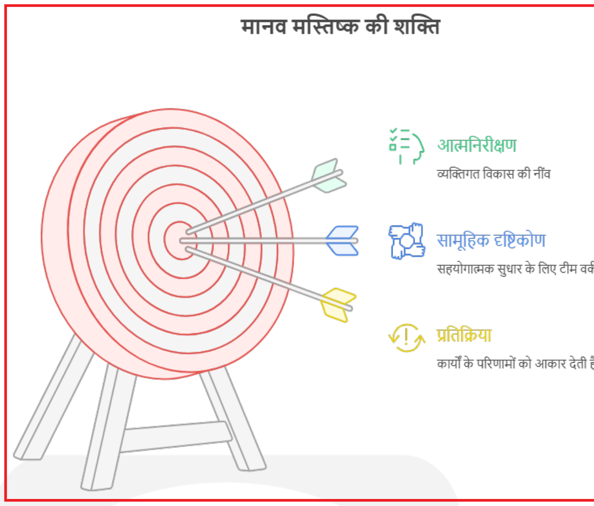

- **दृष्टिकोण के माध्यम से व्यक्तिव परिवर्तन:** किसी व्यक्ति की परिस्थितियाँ निश्चित हो सकती हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया विकास या ठहराव को निर्धारित करती है।
  - ***उदाहरण:*** IAS अधिकारी **अनिल स्वरूप** (1979 बैच) ने UPSC में बार-बार असफल होने के बावजूद अपने अटूट संकल्प से उन्हें सफलता की सीढ़ियाँ बना लिया और अंतत: कोयला एवं शिक्षा सचिव बने, यह दर्शाते हुए कि दृढ़ दृष्टिकोण भाग्य को भी दिशा दे सकता है।
- **सामाजिक एवं नैतिक आयाम:** सामाजिक स्तर पर, सामूहिक दृष्टिकोण सुधार ला सकते हैं।
  - ***उदाहरण:*** **स्वच्छ भारत मिशन** की सफलता दर्शाती है कि स्वच्छता के प्रति जनता के बदलते नज़रिये ने किस प्रकार भारतीय गाँवों और शहरों में स्पष्ट परिवर्तन किया है।
- **दार्शनिक प्रतिध्वनियाँ:** जेम्स का विचार **गांधी के आत्म-शुद्धिकरण पर ज़ोर** और **भगवद्गीता के स्थितप्रज्ञ सिद्धांत के साथ प्रतिध्वनित होता है**, दोनों ही बाह्य परिवर्तन के आधार के रूप में आंतरिक परिवर्तन पर बल देते हैं।

विलियम जेम्स की अंतर्दृष्टि शाश्वत है: जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों से ही निर्धारित नहीं होता, बल्कि उन **दृष्टिकोणों से भी निर्धारित होता है जिनसे हम उनका सामना करते हैं**। मनोविज्ञान और वास्तविक विश्व के सामाजिक आंदोलनों में अकादमिक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि दृष्टिकोण में बदलाव लाना भाग्य बदलने की दिशा में पहला कदम है- व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से।

3. (c) **"किसी समाज की शक्ति उसके कानूनों में नहीं, बल्कि उसके लोगों की नैतिकता में होती है।" - स्वामी विवेकानंद** (10 अंक)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के विचार की व्याख्या से कीजिये।
- नागरिक सत्यनिष्ठा, नैतिक नेतृत्व और उत्तरदायित्व जैसे आयामों का उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिये।
- इस बात पर बल देते हुए निष्कर्ष लिखिये कि आदर्श प्रेरणा देते हैं, लेकिन व्यवहार में नैतिकता सामाजिक शक्ति और अनुकूलन अनुरक्षण करती है।

उत्तर: स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि केवल उच्च सिद्धांत ही किसी समाज को तब तक नहीं चला सकते जब तक कि उसे **उसके लोगों द्वारा नैतिकता के साथ नहीं अपनाया जाता**। आदर्श सिद्धांत दिशा प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी मज़बूती इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिक, नेतृत्वकर्त्ताओं और संस्थाएँ उन्हें व्यवहार में कितनी ईमानदारी तथा नैतिकता से अपनाते हैं।

- **सामाजिक शक्ति की नींव के रूप में नैतिकता:** कोई भी समाज समानता और न्याय का दावा तो कर सकता है, परंतु जब तक उसके नागरिक ईमानदारी से अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते, तब तक ये केवल खोखले नारे मात्र रह जाते हैं।
  - *उदाहरण:* **सूचना का अधिकार (RTI) आंदोलन** को सफलता इसलिये मिली क्योंकि आम नागरिकों ने शासन में पारदर्शिता की मांग करने का नैतिक साहस दिखाया।
- **नैतिक कार्यों में निहित नेतृत्व:** नैतिक नेतृवकर्त्ता केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि स्वयं मूल्यों का पालन करके दूसरों में विश्वास उत्पन्न करते हैं; उनकी नैतिकता ही समाज की वास्तविक शक्ति बन जाती है।
  - *ई. श्रीधरन (मेट्रो मैन) ने दिल्ली मेट्रो के प्रमुख रहते हुए व्यक्तिगत ईमानदारी बनाए रखी, भ्रष्टाचार का दृढ़ता से विरोध किया और परियोजनाओं को समय पर पूरा कर यह साबित किया कि नैतिक नेतृत्व जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है।*
  - *डॉ. वर्गीज कुरियन ("श्वेत क्रांति के जनक"):* सहकारिता के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने की उनकी नैतिक प्रतिबद्धता ने भारत के डेयरी क्षेत्र को बदल दिया, आत्मनिर्भरता के आदर्शों को वास्तविकता में बदल दिया।
- **लोक नैतिकता और नागरिक कर्त्तव्य:** आत्मनिर्भरता या समानता के आदर्श तब सार्थक होते हैं जब नेतृत्वकर्त्ता नैतिक रूप से सामाजिक कार्यों के लिये स्वयं को समर्पित करते हैं।
  - *उदाहरण:* कोविड-19 संकट के दौरान डॉक्टरों, नर्सों और लोक सेवकों ने निस्वार्थ भाव से, प्राय: व्यक्तिगत जोखिम उठाते हुए, सेवा देकर यह दर्शाया कि समाज की वास्तविक शक्ति केवल सरकारी निर्देशों में नहीं, बल्कि व्यक्तियों द्वारा निभाई गई नैतिक ज़िम्मेदारी में निहित होती है।

स्वामी विवेकानंद के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि **समाज का अनुकूलन जीवंत नैतिकता पर टिका है,** यानी प्रशासकों की ईमानदारी, नेतृत्वकर्त्ताओं की करुणा और नागरिकों का नैतिक आचरण। आदर्श प्रेरणा देते हैं, लेकिन केवल नैतिकता ही टिकती है।

4. (a) **"किसी भी प्रकार की सामाजिक पुनर्रचना के लिये कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने हेतु एक सिविल सेवक को नैतिक ढाँचे में तर्क और आलोचनात्मक सोच का उपयोग करना चाहिये।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिये।**

(150 शब्दों में) (10 अंक)

हल करने का दृष्टिकोण:

- कल्याणकारी योजनाओं के तटस्थ कार्यान्वयनकर्त्ता के रूप में सिविल सेवकों की भूमिका की व्याख्या करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- विभिन्न आयामों के माध्यम से वस्तुनिष्ठता के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये।
- सेवोत्तम मॉडल का उल्लेख कीजिये।
- निष्कर्ष में इस भाव पर बल दीजिये, जो कहता है कि समता और न्याय जैसे संवैधानिक आदर्शों को व्यवहार में उतारने हेतु निष्पक्ष तथा निष्ठावान प्रशासन अनिवार्य है।

उत्तर: सिविल सेवक नीति-निर्माण और ज़मीनी स्तर पर उसके क्रियान्वयन के बीच सेतु का काम करते हैं। कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से **सामाजिक पुनर्रचना,** अर्थात् कमज़ोर वर्गों का उत्थान तथा असमानताओं में कमी लाने के लिये, अधिकारियों को **वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष होना चाहिये**। जाति, वर्ग, लैंगिकता या क्षेत्र में निहित कोई भी पूर्वाग्रह समानता और न्याय के संवैधानिक आदर्शों को कमज़ोर करता है।

सिविल सेवक के लिये निष्पक्षता का महत्व

- **कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में समानता सुनिश्चित करना:** सामाजिक इंजीनियरिंग के लिये यह आवश्यक है कि लाभ प्रभावशाली लोगों की बजाय *वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचें। निष्पक्षता वितरणात्मक न्याय की रक्षा करती है।*
    - **उदाहरण:** IAS अधिकारी **स्मिता सभरवाल**, जोकि *"लोक सेवक" हैं, ने फंड योर सिटी* और स्वास्थ्य शिविर जैसी नागरिक-केंद्रित पहल शुरू कीं, जिससे पारदर्शी तथा न्यायसंगत कल्याणकारी वितरण सुनिश्चित हुआ।
- **सामाजिक पूर्वाग्रहों पर नियंत्रण पाना:** सिविल सेवकों को उपेक्षित समूहों को सशक्त बनाने के लिये सामाजिक रूढ़िवादिता से ऊपर उठना होगा।
    - **उदाहरण:** IAS अधिकारी **प्रशांत नायर**, जिन्हें *'कलेक्टर ब्रो'* के नाम से जाना जाता है, ने जाति या धर्म से परे लोगों की सेवा करते हुए आवास और शिक्षा के लिये सोशल मीडिया के माध्यम से संसाधन जुटाने हेतु *कम्पैशनेट कोझिकोड की शुरुआत की।*
- **संवेदनशील क्षेत्रों में निष्पक्षता बनाए रखना:** संघर्ष प्रभावित या पिछड़े क्षेत्रों में, निष्पक्षता विश्वास को प्रोत्साहन देती है और राज्य की वैधता को बढ़ाती है।
    - **उदाहरण:** आकांक्षी **ज़िला कार्यक्रम** (नीति आयोग, 2021) ने राजनीतिक या अभिजात वर्ग के कब्ज़े की बजाय उद्देश्यपूर्ण लक्ष्यीकरण द्वारा दंतेवाड़ा जैसे वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतकों में सुधार किया।
- **पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा:** पारदर्शिता यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी निर्णय एवं कल्याणकारी योजनाओं की जाँच-पड़ताल हो, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो। सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता का पूरक है, क्योंकि यह सिविल सेवकों से अनुचित प्रभाव का विरोध करने में ईमानदारी, निरंतरता और नैतिक साहस की अपेक्षा करती है। ये दोनों मिलकर **जनता के विश्वास को मज़बूत करती हैं**।
    - **उदाहरण:** IAS अधिकारी **दुर्गा शक्ति नागपाल** ने वर्ष 2013 में राजनीतिक दबाव की परवाह किये बिना अवैध रेत खनन माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की, जिससे उन्होंने पारदर्शिता और ईमानदारी को बनाए रखते हुए जनता तथा पर्यावरण दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की।

पॉल एच. एपलबी जैसे विद्वान इस बात पर ज़ोर देते हैं कि निष्पक्षता प्रभावी प्रशासन की आधारशिला है। इसी तरह, **रिग्स का प्रिज़्मेटिक सोसायटी मॉडल** चेतावनी देता है कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त नौकरशाही वास्तविक सामाजिक परिवर्तन लाने में विफल रहती है। इसलिये, सफल सामाजिक पुनर्रचना के लिये यह आवश्यक है कि सिविल सेवक तटस्थ कार्यान्वयनकर्त्ता के रूप में कार्य करें।

4. (b) महावीर की प्रमुख शिक्षाएँ क्या हैं? समकालीन विश्व में उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिये।

(150 शब्द) (10 अंक)

हल करने का दृष्टिकोण:

- 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी की भूमिका और पंच महाव्रतों पर आधारित उनकी मुख्य शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- प्रत्येक व्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को उनके दार्शनिक अर्थ के साथ समझाइये।
- निष्कर्ष में इस बात पर प्रकाश डालिये कि ये मूल्य किस प्रकार आधुनिक चुनौतियों के लिये नैतिक समाधान प्रदान करते हैं।

उत्तर: **जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने नैतिक अनुशासन और आत्म-शुद्धि** का मार्ग सिखाया। उनका नैतिक दर्शन **पाँच महाव्रतों पर आधारित है**- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये शाश्वत मूल्य हैं, जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं।

प्रमुख शिक्षाएँ और समकालीन प्रासंगिकता:

- **अहिंसा:** महावीर ने अहिंसा को सर्वोच्च गुण माना और इसे विचारों, वचनों तथा कर्मों तक विस्तारित किया। यह न केवल मनुष्यों के प्रति, बल्कि पशुओं और पर्यावरण के प्रति भी करुणा को बढ़ावा देती है।

- **प्रासंगिकता:** संयुक्त राष्ट्र में शांति के लिये भारत की वैश्विक वकालत और बढ़ती शाकाहार की प्रवृत्ति इस सिद्धांत को प्रतिबिंबित करती हैं।
- **सत्य:** जैन धर्म सत्य के मन-वचन-कर्म से पालन की शिक्षा देता है। उसके अनुसार मनुष्य को मन-वचन-कर्म तीनों से ही असत्य का प्रयोग न स्वयं करना चाहिये और न दूसरों से करवाना चाहिये। महावीर के लिये सत्य का अर्थ सत्य बोलना तो था, किंतु ऐसा सत्य, जो किसी को पीड़ा न पहुँचाए, अर्थात् लाभकारी हो।
  - **प्रासंगिकता: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम** जैसी पहल नागरिकों को सटीक जानकारी तक पहुँच प्रदान करके शासन में सत्यता को बनाए रखती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
- **अस्तेय (चोरी न करना):** महावीर ने दूसरों की संपत्ति का सम्मान करने और शोषण या भ्रष्टाचार से दूर रहने पर ज़ोर दिया। यह सामाजिक आचरण में निष्पक्षता और न्याय पर आधारित है।
  - **प्रासंगिकता:** भारत का **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** सब्सिडी का उद्देश्यपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है, जिससे चोरी और रिसाव पर अंकुश लगाकर 2.2 लाख करोड़ रुपये की बचत होती है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023)।
- **ब्रह्मचर्य (आत्म-संयम):** इसका तात्पर्य इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण, शरीर एवं मन की पवित्रता को बढ़ावा देना है। तपस्वियों के लिये इसका अर्थ ब्रह्मचर्य था; सामान्य लोगों के लिये- संयम।
  - **प्रासंगिकता:** उपभोक्तावाद और डिजिटल लत के युग में नशामुक्ति तथा ज़िम्मेदार इंटरनेट उपयोग पर सरकारी अभियान इसकी आवश्यकता को उजागर करते हैं।
- **अपरिग्रह:** महावीर ने संपत्ति को सीमित करने और भौतिक लालच से अलग रहने की सलाह दी, जो व्यक्तियों को दुखों से बांधता है।
  - **प्रासंगिकता: COP27 में प्रचारित** भारत का **मिशन LiFE (पर्यावरण के लिये जीवन-शैली)** इस प्रतिज्ञा को प्रतिध्वनित करते हुए सतत् जीवन और कम उपभोग का आह्वान करता है।

महावीर की शिक्षाएँ कालजयी हैं। **करुणा, ईमानदारी, संयम और स्थिरता पर ज़ोर देकर** वे हिंसा, भ्रष्टाचार, गलत सूचना तथा जलवायु परिवर्तन जैसी आधुनिक चुनौतियों के नैतिक समाधान प्रस्तुत करती हैं।

महावीर की शिक्षाएँ आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं तथा हमारे परस्पर जुड़े आधुनिक विश्व में सतत् विकास, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और आध्यात्मिक कल्याण के लिये नैतिक रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं।

5. (a) "जो व्यक्ति अपने कर्त्तव्य के प्रति समर्पित होता है, वह जीवन में सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है।" एक सिविल सेवक के रूप में ज़िम्मेदारी की भावना और व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिये।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये)

हल करने का दृष्टिकोण:
- सिविल सेवकों के लिये कर्त्तव्य के प्रति समर्पण सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत संतुष्टि दोनों प्रदान करता है स्पष्ट कीजिये।
- ईमानदार अधिकारियों के उदाहरणों के साथ उत्तरदायित्व और संतुष्टि के आयामों का विश्लेषण कीजिये।
- भगवद्गीता की शिक्षाओं और कांट के नैतिक दर्शन से यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक जीवन की सच्ची पूर्णता ईमानदारी तथा नि:स्वार्थ सेवा के आचरण में ही निहित है स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: यह विचार इस सिद्धांत पर प्रकाश डालता है कि कर्त्तव्यनिष्ठ समर्पण न केवल समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है, बल्कि व्यक्तिगत संतोष भी प्रदान करता है। सिविल सेवक के संदर्भ में इसका अर्थ है- संवैधानिक नैतिकता के पालन के साथ निष्पक्षता, दक्षता और करुणा के माध्यम से अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करना।

ज़िम्मेदारी की भावना

- **सामाजिक आयाम:** सिविल सेवक सार्वजनिक संसाधनों के संरक्षक होते हैं; कर्त्तव्य के प्रति समर्पण न्याय, समता और समावेशन सुनिश्चित करता है। **IAS रितु महेश्वरी (उत्तर प्रदेश कैडर)** ने नोएडा में भूमि अभिलेखों और शिकायत निवारण को डिजिटल किया, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ तथा नागरिकों का सशक्तीकरण हुआ।
- **संस्थागत आयाम:** सेवा में निष्पक्षता और जवाबदेही संस्थागत विश्वास को बनाए रखती है। **IAS यू. सागायम (तमिलनाडु कैडर)**, जिन्हें 'जनता के कलेक्टर' के रूप में जाना जाता है, ने ग्रेनाइट खनन घोटाले का खुलासा किया और उन्हें दी गई रिश्वत वापस कर दी, जिससे संस्थागत ईमानदारी के प्रति उनकी निष्ठा का प्रदर्शन हुआ।

व्यक्तिगत संतुष्टि

- **मनोवैज्ञानिक आयाम:** कर्त्तव्य के प्रति समर्पण आंतरिक संतुष्टि, अनुकूलन और उद्देश्य की भावना प्रदान करता है। **IAS विनोद राय** ने सीएजी के रूप में 2जी स्पेक्ट्रम मामले जैसी अनियमितताओं को उजागर करके सार्वजनिक वित्त में जवाबदेही सुनिश्चित की। उनकी निष्ठा ने लोकतांत्रिक निगरानी को सुदृढ़ किया तथा उन्हें नैतिक संतुष्टि प्रदान की।
- **नैतिक आयाम:** सच्ची संतुष्टि भौतिक लाभ से नहीं, बल्कि नैतिक विवेक के साथ कार्यों को जोड़ने से उत्पन्न होती है। **अशोक खेमका (हरियाणा)** ने नैतिक साहस और व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास का परिचय देते हुए बार-बार स्थानांतरण के बावजूद विवादास्पद भूमि सौदों को रद्द कर दिया।

दार्शनिक परिप्रेक्ष्य

- **यह भगवद्गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत** के अनुरूप है, जिसमें नि:स्वार्थ रूप से अपने कर्त्तव्य का पालन किया जाता है, बिना किसी पुरस्कार की आसक्ति के। यह **कांट के कर्त्तव्यनिष्ठ नैतिक दर्शन के साथ भी प्रतिध्वनित होता है**, जो मानता है कि कर्त्तव्य अपने आप में ही एक उद्देश्य है।

सिविल सेवक के लिये **कर्त्तव्य के प्रति समर्पण ज़िम्मेदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा को जोड़ने का सेतु बनता है।** यह जनता का विश्वास बढ़ाता, संस्थाओं को सुदृढ़ करता और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी—सच्ची 'पूर्णता'—की स्थायी विरासत स्थापित करता है।

5. **(b) समग्र विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, एक सिविल सेवक विकास के नियामक की बजाय एक सक्षमकर्त्ता और सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आप क्या विशिष्ट उपाय सुझाएंगे?**

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये)

उत्तर: नियमों के अनुपालन और यथास्थिति को बनाए रखने पर केंद्रित सिविल सेवक की पारंपरिक भूमिका वस्तुत: **औपनिवेशिक अतीत की विरासत है।** भारत जैसे लोकतांत्रिक और गतिशील समाज में समग्र विकास प्राप्त करने के लिये, सिविल सेवक को विकास के एक **सक्षमकर्त्ता तथा सक्रिय सूत्रधार के रूप में विकसित होना होगा।** इस आदर्श परिवर्तन के लिये एक सक्रिय, नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो नवाचार, सहयोग और विश्वास को बढ़ावा दे। यह 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' प्रबंधन प्रणाली की ओर एक बदलाव है।

सिविल सेवक की सफलता के लिये आवश्यक रणनीतियाँ:

- **नागरिक-केंद्रित शासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना:** प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
  - **आधार** से जुड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली ने कल्याणकारी योजनाओं में लीकेज को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचे।
  - यह डेटा-संचालित दृष्टिकोण सिविल सेवकों को केवल व्यय की बजाय परिणामों की निगरानी करने की अनुमति देता है, जिससे वे अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनते हैं।
- **सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक साझेदारी को सुगम बनाना:** सिविल सेवकों को नागरिक समाज संगठनों, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिये।
  - **उदाहरण के लिये,** केरल का **कुदुम्बश्री मिशन** सिविल सेवकों की उस क्षमता का सशक्त प्रमाण है, जिसमें वे सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हुए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाते हैं और सूक्ष्म उद्यमों के लिये एक स्थायी मॉडल प्रस्तुत करते हैं।
  - इस दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार स्वयं विकास का संपूर्ण भार नहीं उठा सकती, बल्कि उसे सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने वाले उत्प्रेरक की भूमिका निभानी होगी।
- **समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना:** सक्षम सिविल सेवक की विशेषता यह है कि वह केवल नियमों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि जन-समस्याओं के रचनात्मक समाधान प्रस्तुत करता है। इसके लिये प्रतिक्रियावादी नौकरशाही से सक्रिय और प्रगतिशील नौकरशाही की ओर बदलाव की आवश्यकता है।
  - **मिशन कर्मयोगी** इसी सिद्धांत पर आधारित है कि भविष्य-उन्मुख सिविल सेवा को रचनात्मक, नवाचारी और प्रगतिशील बनाया जाए।

सिविल सेवक **'सेवोत्तम मॉडल' का** अनुसरण कर सकते हैं, जो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता सुधारने हेतु विकसित एक सुस्पष्ट ढाँचा है।

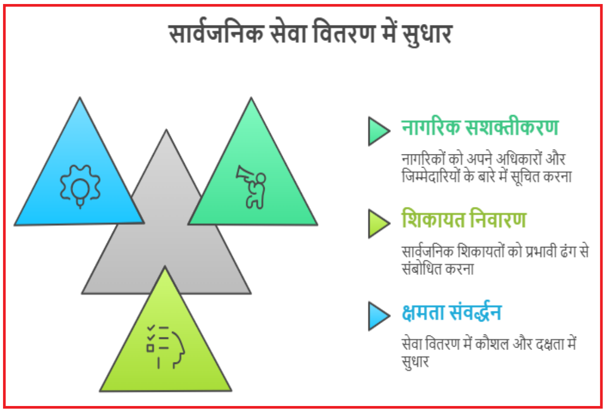

भारत के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक सिविल सेवक का एक नियामक से सक्षमकर्त्ता के रूप में रूपांतरण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। **नागरिक सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करके, पारदर्शिता** और दक्षता के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर तथा **सहयोगात्मक साझेदारियों का निर्माण करके** सिविल सेवक एक नए, विकसित भारत के निर्माता बन सकते हैं। **2nd ARC, होता समिति (2004) और सुरिंदर नाथ समिति (2003) जैसी समितियों ने** इस बात पर ज़ोर दिया कि सिविल सेवकों को **केवल नियामक की बजाय विकास के सूत्रधार के रूप में कार्य करना चाहिये**।

6.(a) ऐसा कहा जाता है कि नैतिक कार्य संस्कृति के लिये प्रत्येक संगठन में आचार संहिता होनी चाहिये। मूल्य-आधारित और अनुपालन-आधारित कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के लिये, आप अपने कार्यस्थल में कौन-से उपयुक्त उपाय अपनाएंगे? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये)

हल करने का दृष्टिकोण:

- परिचय में औपनिवेशिक नियम-आधारित नियामक की भूमिका की तुलना लोकतंत्र में नागरिक-केंद्रित, भूमिका-आधारित प्रवर्तक की आवश्यकता से कीजिये।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग, साझेदारी को प्रोत्साहित करना तथा समाधान-उन्मुख मानसिकता अपनाना जैसे उपाय विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं, स्पष्ट कीजिये।
- निष्कर्ष में बताइये कि समावेशी, सतत् विकास और भविष्य हेतु तैयार भारत के लिये सक्षमता में परिवर्तन करना क्यों महत्त्वपूर्ण है।

उत्तर: एक नैतिक कार्य संस्कृति कुशल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन की मूल आधारशिला है। जैसा कि **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने रेखांकित किया है**, *आचार संहिता* लोक सेवकों के लिये एक नैतिक दिशा-निर्देश प्रदान करती है, जो जवाबदेही, निष्पक्षता और सेवा-उन्मुखता सुनिश्चित करती है। किसी भी कार्यस्थल में मूल्यों को संस्थागत रूप देने के लिये केवल नियमों का पालन पर्याप्त नहीं है; इसके लिये उपयुक्त और सक्रिय उपाय अपनाना आवश्यक है।

मूल्य-आधारित कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के उपाय

- **आचार संहिता का निर्माण और कार्यान्वयन:** ईमानदारी, निष्पक्षता, जवाबदेही और करुणा जैसे मूलभूत सिद्धांत कर्मचारियों के व्यवहार तथा निर्णय प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
  - *उदाहरण:* **केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 में** पहले से ही सिविल सेवकों के लिये नैतिक मानदंड प्रदान किये गए हैं।
- **नेतृत्व और आदर्श व्यवहार:** वरिष्ठ अधिकारियों को नैतिक आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये, क्योंकि संगठनात्मक संस्कृति का प्रसार अधोगामी होता है। नैतिक आदर्श स्थापित करने से उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है और अधीनस्थों को प्रेरणा मिलती है।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** नियमित नैतिकता और अखंडता प्रशिक्षण सत्र, जिसमें केस अध्ययन एवं दुविधाएँ शामिल हैं, नैतिक तर्क विकसित करते हैं।
  - *उदाहरण:* IAS परीक्षा के उम्मीदवारों के लिये **LBSNAA का नैतिकता मॉड्यूल** विशेषरूप से मूल्य-संचालित शासन पर केंद्रित है।
- **संस्थागत तंत्र और जवाबदेही:** मुखबिर संरक्षण, शिकायत निवारण तंत्र और पारदर्शी निर्णय-प्रक्रियाओं के माध्यम से नैतिक प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  - *उदाहरण:* **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** पारदर्शिता और नागरिक विश्वास को बढ़ाता है।
- **नैतिकता से जुड़ा प्रदर्शन मूल्यांकन:** मूल्यांकन में न केवल कार्य-कुशलता का आकलन होना चाहिये, बल्कि ईमानदारी, सहानुभूति और निष्पक्षता का भी आकलन होना चाहिये। उदाहरण के लिये, नैतिक अधिकारियों को मान्यता देने से मूल्यों पर आधारित कार्यस्थल को बढ़ावा मिलता है।
- **सहभागी और समावेशी निर्णयन:** खुले संवाद, टीमवर्क और परामर्श को प्रोत्साहित करने से पूर्वाग्रह कम होता है तथा संगठनात्मक निर्णयों में निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है।

- **नैतिक आचरण के लिये पुरस्कार और मान्यता:** जो अधिकारी असाधारण ईमानदारी प्रदर्शित करते हैं (जैसे- भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय कदम उठाना), उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिये, जिससे अन्य कर्मचारियों में प्रेरणा और नैतिकता बढ़े।

मूल्य-आधारित कार्य संस्कृति केवल नियमों के पालन से नहीं, बल्कि **नैतिक मूल्यों के आत्मसातीकरण से स्थापित होती है।** प्रशिक्षण, नेतृत्व, जवाबदेही तंत्र और मान्यता के साथ एक आचार संहिता यह सुनिश्चित करती है कि शासन संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप हो। अंततः ऐसा कार्यस्थल **विश्वास, पारदर्शिता और सेवा-उन्मुखता को बढ़ावा देता है,** जो नैतिक लोक प्रशासन की पहचान हैं।

6.(b) भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, क्योंकि आई.एम.एफ. के अनुमानानुसार हाल ही में इसने विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है। तथापि यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में आवंटित धनराशि का या तो कम उपयोग किया जाता है अथवा उसका गलत उपयोग होता है। इस संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करने, लीकेज रोकने तथा निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिये आप क्या विशिष्ट उपाय सुझाएंगे?

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिये)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की मज़बूत आर्थिक संवृद्धि के समानांतर विद्यमान विकासात्मक चुनौतियों का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी, समानता और कॉर्पोरेट अखंडता जैसे प्रमुख आयामों में नैतिक ढाँचे की आवश्यकता पर प्रकाश डालिये।
- आर्थिक विकास को सतत् और न्यायसंगत विकास में बदलने के लिये नैतिक मूल्यों की अनिवार्यता पर ज़ोर देते हुए निष्कर्ष लिखिये।

उत्तर: भारत आज एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा है। वर्ष **2023-24 में 7.6% की GDP वृद्धि (MoSPI)**, 600 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार (**RBI, 2024**) और **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किये जाने के साथ,** यह देश वैश्विक विकास का एक प्रेरक बल है। फिर भी निरंतर गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार और पारिस्थितिक संकट हमें याद दिलाते हैं कि भारत अभी भी एक *विकासशील देश* है। इसलिये, सतत् एवं समावेशी विकास की दिशा में प्रगति करने के लिये एक **नैतिक और मूल्य-संचालित ढाँचा आवश्यक है।**

नैतिक ढाँचे की आवश्यकता:

- **भ्रष्टाचार पर अंकुश और निष्पक्षता सुनिश्चित करना:** नैतिकता के अभाव में विकास से संसाधनों के दुरुपयोग और अपव्यय का खतरा बना रहता है, जबकि नैतिक शासन सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का वितरण निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो।
  - *उदाहरण:* **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) ने** फर्ज़ी लाभार्थियों को समाप्त करके 2.2 लाख करोड़ रुपये की बचत सुनिश्चित की है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023)।
- **पर्यावरणीय उत्तरदायित्व:** नैतिक संयम के अभाव में तीव्र औद्योगीकरण पारिस्थितिकी तंत्र के गंभीर क्षरण का कारण बनता है।
  - *उदाहरण:* COP27 में लॉन्च किया गया भारत का **मिशन LiFE** नैतिक उपभोग और ज़िम्मेदार जीवन-शैली को बढ़ावा देता है।
- **समानता और समावेशिता:** नैतिक ढाँचे यह सुनिश्चित करते हैं कि विकास का लाभ कमज़ोर वर्गों तक पहुँचे और बढ़ती असमानता को रोका जा सके।
  - *उदाहरण:* **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम** पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देता है।
- **कार्यात्मकता और समावेशिता:** नैतिक सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि समाज के कमज़ोर वर्ग विकास के लाभ से वंचित न रहें और समाज में संतुलन बनाए रखा जाए।
  - *उदाहरण:* **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के माध्यम से** ज़िलों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण संबंधी पहल को प्राथमिकता दी जाती है।

भारत का आर्थिक उत्थान **नैतिकता, पारदर्शिता, स्थिरता और समावेशिता पर आधारित होना चाहिये।** केवल इसी आधार पर विकास दीर्घकालिक समृद्धि तथा न्याय में परिवर्तित हो सकता है। इस प्रकार एक नैतिक ढाँचा वैकल्पिक नहीं, बल्कि एक विकसित एवं ज़िम्मेदार वैश्विक शक्ति बनने की भारत की आकांक्षा का आधार है।

Section-B Ethics - II (Case Studies)

7. विजय पिछले दो वर्षों से देश के पहाड़ी उत्तरी राज्य के सुदूर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर थे। अगस्त महीने में पूरे राज्य में भारी बारिश हुई और इसके बाद उक्त ज़िले के ऊपरी इलाकों में बादल फटने की घटनाएँ घटीं। पूरे राज्य में विशेषकर प्रभावित ज़िले में बहुत भारी क्षति हुई। पूरा सड़क नेटवर्क और दूरसंचार बाधित हो गया। इमारतें बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गईं। लोगों के घर नष्ट हो गए और वे खुले में रहने को मजबूर हुए। 200 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 5000 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विजय के नेतृत्व में नागरिक प्रशासन सक्रिय हुआ और बचाव तथा राहत अभियान शुरू किया गया। बेघर और घायल लोगों को आश्रय एवं चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के लिये अस्थायी आश्रय शिविर तथा अस्पताल स्थापित किये गए। दूर-दराज़ के इलाकों से बीमार और वृद्ध लोगों को निकालने के लिये हेलीकॉप्टर सेवाएँ शुरू की गईं। विजय को अपने गृहनगर केरल से संदेश मिला कि उनकी माँ गंभीर रूप से बीमार हैं। दो दिन बाद विजय को दुर्भाग्यपूर्ण संदेश मिला कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है। विजय का एक बड़ी बहन के अलावा कोई करीबी रिश्तेदार न था। उनकी बड़ी बहन अमेरिकी नागरिक थीं और पिछले कई वर्षों से वहीं रह रही थीं। इस बीच पाँच दिनों के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई भारी बारिश के कारण प्रभावित ज़िले में स्थिति और खराब हो गई। वहीं, उनके मोबाइल पर अपने गृहनगर से माँ का अंतिम संस्कार करने के लिये जल्द-से-जल्द पहुँचने के लगातार संदेश आ रहे थे।

(a) विजय के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) विजय को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है?

(c) विजय द्वारा पहचाने गए प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन और परीक्षण कीजिये।

(d) आपके अनुसार विजय के लिये कौन-सा विकल्प अपनाना सबसे उपयुक्त होगा और क्यों?

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये)

हल करने का दृष्टिकोण:

- मामले को व्यक्तिगत कर्त्तव्य और व्यावसायिक ज़िम्मेदारी के बीच संघर्ष के रूप में प्रस्तुत कीजिये।
- व्यक्तिगत बनाम व्यावसायिक कर्त्तव्य, भावनात्मक बनाम तर्कसंगत विकल्प तथा अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक परिणाम जैसी नैतिक दुविधाओं की सूची बनाइये।
- सभी उपलब्ध विकल्पों का उनके फायदे और नुकसान के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
- सबसे नैतिक विकल्प को उचित ठहराते हुए निष्कर्ष लिखिये।

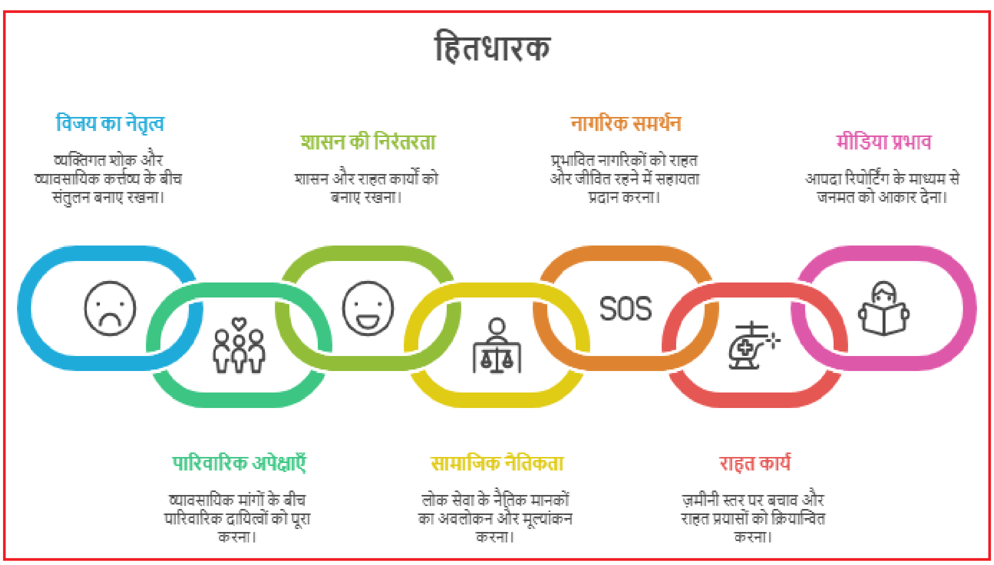

उत्तर: यह केस स्टडी **व्यक्तिगत और व्यावसायिक आचरण के टकराव को दर्शाती है,** जहाँ एक उपायुक्त विजय को अपनी माँ की मृत्यु के दु:ख का सामना करना पड़ता है और साथ ही एक भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान बड़े पैमाने पर बचाव तथा राहत कार्यों का प्रबंधन भी करना पड़ता है। यह **व्यक्तिगत करुणा और पारिवारिक दायित्वों के साथ-साथ उन हज़ारों आपदा प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा की व्यावसायिक ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की नैतिक दुविधा को उजागर करता है,** जो विजय के नेतृत्व पर निर्भर हैं।

(a) विजय के पास उपलब्ध विकल्प

- **तुरंत केरल के लिये रवाना हो जाएँ**
  - अपनी माँ का अंतिम संस्कार स्वयं करें।
  - जोखिम: राहत कार्य धीमा होने की संभावना, जिससे नागरिकों को अधिक नुकसान हो सकता है।
- **स्थिति स्थिर होने तक ज़िले में रहना चाहिये**
  - आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता दें और बाद में माँ के अंतिम संस्कार के बाद की रस्मों के लिये यात्रा करें।
  - जोखिम: परिवार/समुदाय इसे व्यक्तिगत/सांस्कृतिक कर्त्तव्य की उपेक्षा के रूप में देख सकते हैं।
- **अस्थायी रूप से किसी वरिष्ठ अधिकारी (जैसे- ADM) को कार्यभार सौंपना**
  - जब तक वह अंतिम संस्कार में भाग लेंगे, कुछ दिनों के लिये ज़िम्मेदारी सौंप दें।
  - जोखिम: उनके प्रत्यक्ष नेतृत्व के बिना संकट और भी बद्तर हो सकता है।
- **अस्थायी राहत और प्रतिस्थापन के लिये राज्य सरकार से अनुरोध करना**
  - औपचारिक रूप से किसी अन्य अधिकारी को कार्यभार संभालने के लिये कहें, ताकि वह पारिवारिक दायित्वों को पूरा कर सके।
  - जोखिम: समय लेने वाला, आपातकालीन स्थिति में संभव नहीं।
- **केरल में बहन या परिवार के किसी सदस्य को अनुष्ठान करने के लिये आमंत्रित करना**
  - विजय अपनी बहन को भारत बुलाकर अंतिम संस्कार की ज़िम्मेदारी सौंप सकते हैं, या विस्तारित परिवार/समुदाय को अपनी ओर से यह अनुष्ठान पूरा करने की अनुमति दे सकते हैं।
  - जोखिम: शारीरिक रूप से उपस्थित न होने के कारण व्यक्तिगत अपराधबोध और सामाजिक आलोचना।
- **कर्त्तव्यों में संतुलन के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग**
  - दूर रहते हुए भी **सैटेलाइट फोन, वीडियो कॉल, रियल-टाइम मॉनिटरिंग ऐप** के माध्यम से आपदा प्रबंधन की निगरानी जारी रखें।
  - जा पाना असंभव हो तो ऐसी स्थिति में अंतिम संस्कार में **वर्चुअल रूप से शामिल हो सकते हैं,** बशर्ते ऐसा करना सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो।
  - **जोखिम:** ज़मीन पर भौतिक उपस्थिति की तुलना में सीमित प्रभावशीलता।

(b) विजय के सामने नैतिक दुविधाएँ

- **व्यक्तिगत बनाम व्यावसायिक कर्त्तव्य** → एक पुत्र के रूप में सांस्कृतिक दायित्व बनाम एक डिप्टी कमिश्नर के रूप में व्यावसायिक कर्त्तव्य।
  - यदि विजय अपने पेशेवर दायित्व को प्राथमिकता देते हुए यहीं रुकते हैं तो उन्हें अपनी माँ का अंतिम संस्कार न कर पाने के कारण गहरे **नैतिक अपराधबोध** का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह उनके लिये एक गहन व्यक्तिगत और सांस्कृतिक ज़िम्मेदारी है।
- **भावनात्मक बनाम तर्कसंगत विकल्प** → अपनी माँ के लिये दु:ख बनाम हज़ारों लोगों की जान बचाने की तर्कसंगत आवश्यकता।
- अपनी माँ के प्रति भावनात्मक दायित्व और आपदा में फँसे हज़ारों लोगों की सुरक्षा के बीच तर्कसंगत संतुलन।
- **अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक परिणाम** → अंतिम संस्कार में तत्काल उपस्थिति बनाम शासन में दीर्घकालिक प्रतिष्ठा और जनता का विश्वास।
- **पारिवारिक ज़िम्मेदारी बनाम सार्वजनिक ज़िम्मेदारी** → देश में निकट संबंधियों की कमी विजय के लिये अतिरिक्त दबाव का कारण बनती है।

(c) विकल्पों का आलोचनात्मक मूल्यांकन

- **तुरंत केरल के लिये रवानगी**
  - **पक्ष:** यह विकल्प विजय को एक पुत्र के रूप में अपने नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दायित्व को पूरा करने की अनुमति देता है तथा यह उन्हें कठिन समय के दौरान व्यक्तिगत समाधान भी प्रदान करेगा।

- **विपक्ष:** हालाँकि ऐसे महत्त्वपूर्ण चरण में राहत प्रयासों को छोड़ने से लोगों की जान जा सकती है, प्रशासन में जनता का विश्वास कम हो सकता है और यह उनके संवैधानिक कर्त्तव्य की उपेक्षा के समान होगा।

- **स्थिति स्थिर होने तक रुकना**
  - **पक्ष:** ज़िले में बने रहकर विजय संकट की घड़ी में दृढ़ नेतृत्व प्रदान करते हैं, जिससे न केवल अनेक जिंदगियों की रक्षा संभव होती है, बल्कि एक सिविल सेवक के रूप में अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन भी सुनिश्चित होता है।
  - **विपक्ष:** दूसरी ओर, केरल की यात्रा में देरी करने से उन्हें गहरी भावनात्मक पीड़ा हो सकती है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार समय पर न करने के लिये सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ सकता है।
- **वरिष्ठ अधीनस्थ को कार्य सौंपना**
  - **पक्ष:** अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट जैसे वरिष्ठ अधिकारी को कार्यभार सौंपने से प्रशासनिक निरंतरता बनी रहती है और विजय को अपने व्यक्तिगत दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर प्राप्त होता है।
  - **विपक्ष:** फिर भी, आपदा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थों पर कार्यभार बढ़ सकता है और विजय की प्रत्यक्ष उपस्थिति की अनुपस्थिति अंतर-एजेंसी समन्वय एवं प्रशासनिक दक्षता में बाधा डाल सकती है।
- **रिश्तेदारों/समुदाय से अनुष्ठान करने का अनुरोध करना**
  - **लाभ:** इस विकल्प में अंतिम संस्कार बिना किसी देरी के किया जाता है, जबकि विजय अपने पेशेवर उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाने के लिये ज़िले में ही रहते हैं।
  - **विपक्ष:** फिर भी, इसकी सामाजिक रूप से आलोचना की जा सकती है, क्योंकि यह उनके पुत्रवत कर्त्तव्य की उपेक्षा है और इससे उन्हें दीर्घकालिक व्यक्तिगत पश्चाताप हो सकता है।
- **राहत/प्रतिस्थापन के लिये राज्य सरकार से अनुरोध**
  - **पक्ष:** ड्यूटी से अस्थायी अवकाश लेने पर यह सुनिश्चित होता है कि ज़िले में राहत कार्यों के लिये एक पूर्णकालिक अधिकारी मौजूद रहे, जबकि विजय अपनी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी निभाने हेतु केरल में रह सकें।
  - **विपक्ष:** हालाँकि प्रतिस्थापन की व्यवस्था करने में समय लग सकता है और चल रहे संकट के दौरान ज़िम्मेदारी का हस्तांतरण राहत कार्य की दक्षता को बाधित कर सकता है।

(d) विजय के लिये सबसे नैतिक विकल्प यही है कि वह स्थिति स्थिर होने तक राहत कार्यों का नेतृत्व करते रहें, साथ ही रिश्तेदारों/समुदाय के साथ मिलकर प्रारंभिक अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी करें। तत्पश्चात वह अंतिम संस्कार के बाद की रस्मों और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिये यात्रा कर सकते हैं।

- इससे **सार्वजनिक ज़िम्मेदारी** (हज़ारों लोगों की जान बचाना) और **व्यक्तिगत दायित्व में संतुलन स्थापित होता है।**
- एक सिविल सेवक के रूप में, विजय जनता के विश्वास के संरक्षक हैं; आपदा के समय उनका जनता के प्रति *कर्त्तव्य* व्यक्तिगत हितों की तुलना में सर्वोपरि होता है।
- **दार्शनिक दृष्टिकोण से यह दृष्टि भगवद्गीता में वर्णित निष्काम कर्म** सिद्धांत (व्यक्तिगत लाभ या हानि की आसक्ति के बिना कर्त्तव्य का पालन) और **कांट के कर्त्तव्य-नैतिकता** सिद्धांत, जिसमें कर्त्तव्य को सर्वोच्च नैतिक नियम माना जाता है, के अनुरूप है।
  - निष्काम कर्म विजय को एक **कर्त्तव्यनिष्ठ लोक सेवक के रूप में कार्य करने की दिशा प्रदान करता है,** जहाँ वह व्यक्तिगत भावनाओं और इच्छाओं से परे समाज के व्यापक हित पर केंद्रित रहते हैं। **इसका यह अर्थ नहीं कि वह पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दें;** वह सुनिश्चित कर सकते हैं कि करीबी रिश्तेदार या समुदाय के सदस्य प्रारंभिक संस्कार संपन्न करें, जबकि बाद में स्वयं व्यक्तिगत संतुष्टि के लिये अंतिम संस्कार के बाद की रस्मों में भाग ले सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये, **सरदार वल्लभभाई पटेल,** जिन्होंने वर्ष 1932 में अपनी माँ की मृत्यु के बावजूद जेल से स्वतंत्रता संग्राम जारी रखने का फैसला किया।
  - कर्त्तव्य-नैतिकता के अंतर्गत **विजय नैतिक रूप से दोनों कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिये बाध्य हैं,** लेकिन जब उनमें टकराव होता है तो अधिक नैतिक सार्वभौमिकता और दूसरों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाले कर्त्तव्य जैसे कि आपदा राहत को प्राथमिकता दी जाती है।

निष्कर्ष

यह स्थिति **लोक सेवा की सर्वोच्च कसौटी**, व्यक्तिगत दु:ख और पेशेवर ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन को दर्शाती है। यद्यपि कोई भी विकल्प दोनों पक्षों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता, फिर भी व्यक्तिगत दायित्व की तुलना में हज़ारों लोगों के जीवन को प्राथमिकता देना एक सिविल सेवक का नैतिक कर्त्तव्य है। विजय का यह बलिदान न केवल उनकी माँ को सम्मान प्रदान करेगा, बल्कि नैतिक शासन की भावना को मूर्तरूप देते हुए कर्त्तव्यनिष्ठा को दर्शाएगा।

8. भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप *रोटी,* कपड़ा और मकान की बुनियादी ज़रूरतों को सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। इसी आदेश का पालन करते हुए ज़िला प्रशासन ने समाज के बेघरों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिये आवास विकसित करने हेतु वन भूमि के एक हिस्से की सफाई का प्रस्ताव रखा।

हालाँकि प्रस्तावित भूमि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जो सदियों पुराने पेड़ों, औषधीय पौधों और महत्त्वपूर्ण जैववैविध्य से परिपूर्ण है। इसके अलावा, ये वन सूक्ष्म जलवायु और वर्षा को विनियमित करने, वन्यजीवों के लिये आश्रय प्रदान करने, मृत्तिका की उर्वरता बढ़ाने, भूमि/मृदा अपरदन रोकने एवं आदिवासी तथा खानाबदोश समुदायों की आजीविका को बनाए रखने में मदद करते हैं।

पारिस्थितिक और सामाजिक लागतों के बावजूद, प्रशासन उक्त प्रस्ताव के पक्ष में तर्क देता है कि यह पहल मौलिक मानवाधिकारों को एक महत्त्वपूर्ण कल्याणपरक प्राथमिकता के रूप में संबोधित करती है। इसके अलावा, इस समावेशी आवास विकास के माध्यम से गरीबों के उत्थान और सशक्तीकरण से सरकार का कर्त्तव्य पूरा होगा। पुनः जंगली जानवरों के खतरे और बार-बार होने वाले मानव-वन्यजीव संघर्षों के कारण ये वन क्षेत्र असुरक्षित हो गए हैं। अंत में, वन क्षेत्रों को साफ करने से इन इलाकों को कथिततौर पर छिपने के स्थानों के रूप में उपयोग करने वाले असामाजिक तत्त्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है, जिससे कानून और व्यवस्था में सुधार होगा।

(a) क्या बेघरों के लिये सामाजिक कल्याणपरक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वनों की कटाई को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है?

(b) मानव विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने में सामाजिक-आर्थिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियाँ क्या हैं?

(c) पर्यावरणीय अखंडता और मानवीय गरिमा- दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये कौन-से ठोस विकल्प या नीतिगत हस्तक्षेप प्रस्तावित किये जा सकते हैं?

(250 शब्दों में) 20

हल करने का दृष्टिकोण:

- मामले को आवास अधिकार और वन संरक्षण के बीच संघर्ष के रूप में प्रस्तुत कीजिये।
- अंतर-पीढ़ीगत न्याय और ट्रस्टीशिप का उपयोग करके वनों की कटाई के नैतिक औचित्य का आकलन कीजिये।
- प्रमुख सामाजिक-आर्थिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- सतत् विकल्प और नीतिगत हस्तक्षेप का सुझाव दीजिये।
- नैतिक मार्ग के रूप में सतत् विकास पर बल देते हुए निष्कर्ष निकालिये।

उत्तर: यह मामला **विकास बनाम पर्यावरण की पारंपरिक दुविधा को उजागर करता है।** एक ओर राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह वंचितों को बुनियादी आवास प्रदान करके सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करे। दूसरी ओर प्रस्तावित स्थल एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वन क्षेत्र है, जो जैवविविधता को बनाए रखता है, जलवायु को नियंत्रित करता है और आदिवासियों की आजीविका का समर्थन करता है। **मानव कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच का संघर्ष** शासन के लिये जटिल **नैतिक तथा प्रशासनिक चुनौतियाँ खड़ी करता है।**

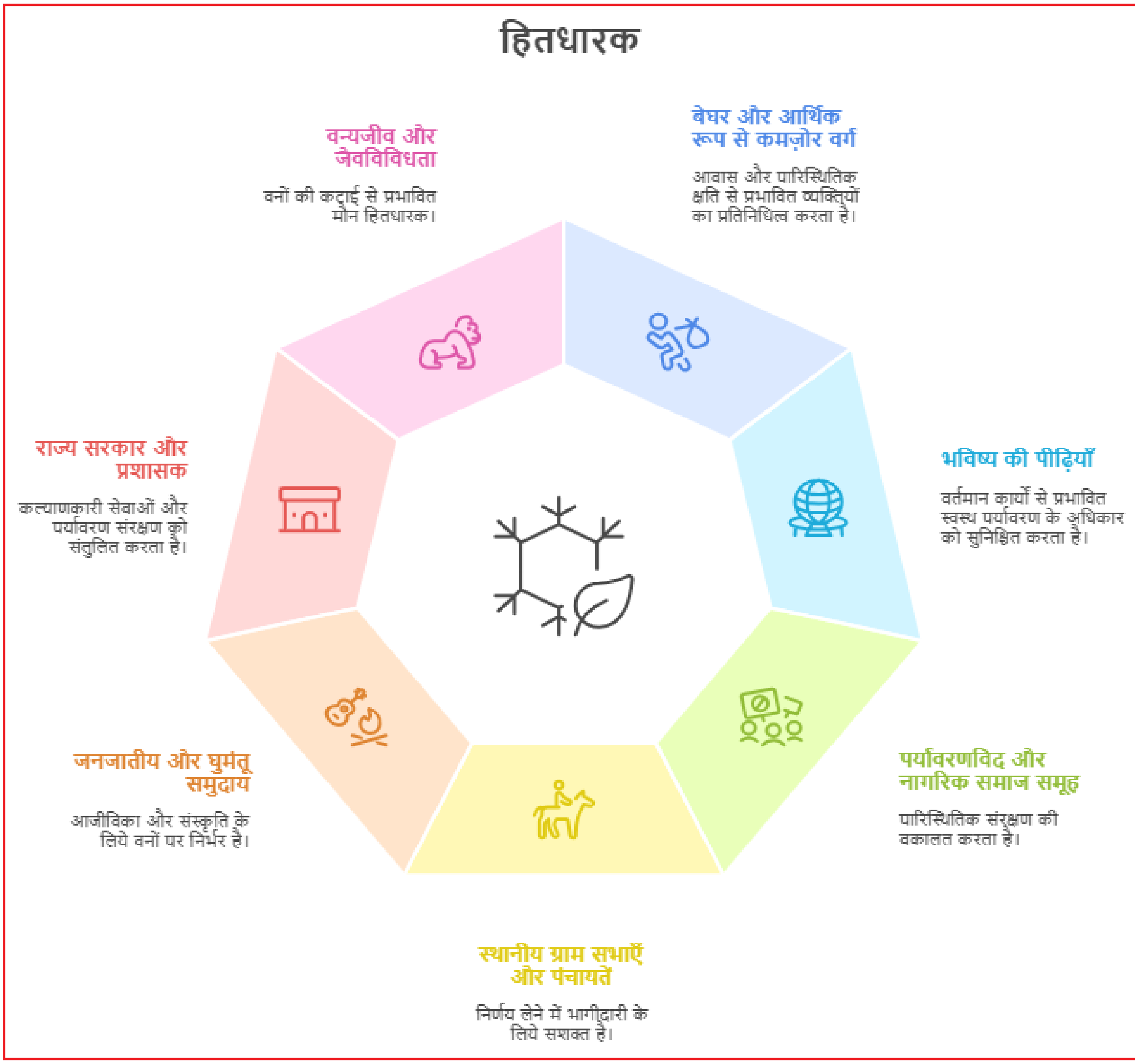

(a) पक्ष में तर्क (नैतिक औचित्य)

- **मानव सम्मान एवं अधिकार:** आश्रय एक बुनियादी मानव अधिकार है, जो सम्मान, सुरक्षा और कल्याण से जुड़ा हुआ है।
- **राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP):** राज्य का संवैधानिक कर्त्तव्य है कि वह नागरिकों, विशेषकर वंचितों के लिये भोजन, वस्त्र और आश्रय सुनिश्चित करे।
- **सामाजिक न्याय:** आवास परियोजनाएँ असमानता को कम करती हैं, कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाती हैं और समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं।
- **उपयोगितावादी दृष्टिकोण:** सीमित वन भूमि को साफ करने से अत्यधिक ज़रूरतमंद बड़ी आबादी को लाभ मिल सकता है, जिससे अधिकतम लोगों के लिये अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सकेगा।
- **सार्वजनिक सुरक्षा:** यदि वन मानव-वन्यजीव संघर्ष या आपराधिक गतिविधि का स्थल बन गए हैं, तो विनियमित निकासी से जोखिम कम हो सकता है।

विपक्ष में तर्क (यह नैतिक रूप से उचित क्यों नहीं हो सकता)

- **पारिस्थितिक नैतिकता:** वन केवल संसाधन नहीं हैं, बल्कि आंतरिक मूल्य वाले जीवित पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो संरक्षण के पात्र हैं।
- **संवैधानिक अधिदेश:** अनुच्छेद 48A (पर्यावरण की रक्षा के लिये राज्य का कर्त्तव्य) और अनुच्छेद 51A(G) (नागरिकों का कर्त्तव्य) समाज को वनों की सुरक्षा के लिये बाध्य करते हैं।
- **अंतर-पीढ़ीगत समानता:** आज वनों को नष्ट करने से भावी पीढ़ियों के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को नुकसान पहुँचता है।
- **आजीविका एवं संस्कृति:** वनों पर निर्भर जनजातीय और खानाबदोश समुदाय विस्थापित हो सकते हैं, जिससे सांस्कृतिक तथा सामाजिक अन्याय हो सकता है।
- **सतत् विकल्प मौजूद हैं:** जब पर्यावरण अनुकूल आवास, वनरोपण या बंजर भूमि के उपयोग जैसे विकल्प मौजूद हों तो विकास को अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति की कीमत पर नहीं आना चाहिये।

नैतिक संतुलन

वनों की कटाई को कल्याणकारी उद्देश्यों के लिये भी **बिना शर्त उचित नहीं ठहराया जा सकता**। नैतिक मार्ग सतत् विकास के माध्यम से दोनों उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करने में निहित है- वैकल्पिक भूमि, ऊर्ध्वाधर आवास मॉडल या प्रतिपूरक वनरोपण की खोज करके, ताकि सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता साथ-साथ चलें।

जब वनों की कटाई से **अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति** होती है, जो दीर्घकालिक मानव अस्तित्व को खतरे में डालती है, तब इसे नैतिक रूप से उचित नहीं माना जा सकता।

- जबकि आवास एक मौलिक मानव अधिकार है, **पर्यावरणीय नैतिकता का उल्लंघन भावी पीढ़ियों** (अंतर-पीढ़ीगत न्याय) को नुकसान पहुँचाता है।
- *पारिस्थितिक ट्रस्टीशिप* का गांधीवादी सिद्धांत यह सुझाता है कि प्राकृतिक संसाधन सभी प्राणियों के लिये ट्रस्ट में रखे जाएँ, उनका अंधाधुँध दोहन न किया जाए।
- नैतिक शासन के लिये **स्थायी समाधान की आवश्यकता होती है**, जहाँ मानव गरिमा और पर्यावरणीय अखंडता दोनों का सम्मान किया जाता है, जैसे कि आवास के लिये कम उपयोग किये गए भूमि खंडों की **भूमि पूलिंग, ऊर्ध्वाधर आवास** के माध्यम से मौजूदा शहरी भूमि का पुनर्विकास करना।

(b) सामाजिक-आर्थिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियाँ

सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ

- **गरीबी बनाम संरक्षण:** जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आजीविका (ईंधन, चारा, लघु वनोपज) के लिये वनों पर निर्भर है।
  - विकास परियोजनाएँ उन्हें विस्थापित कर सकती हैं।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** बस्तियों के विस्तार से वन्यजीवों के साथ संघर्ष बढ़ता है, जिससे समुदायों और प्रजातियों दोनों को खतरा होता है।
- **समानता के मुद्दे:** गरीब और हाशिये पर रहने वाले लोगों को स्थानांतरण का बोझ उठाना पड़ता है, जबकि विकास का लाभ अक्सर अभिजात वर्ग को मिलता है।
- **अंतर-पीढ़ीगत लागत:** वनों की कटाई से होने वाला अल्पकालिक आर्थिक लाभ दीर्घकालिक पारिस्थितिक सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन को कमज़ोर करता है।

प्रशासनिक चुनौतियाँ

- **नीतिगत दुविधा:** DPSP (सामाजिक कल्याण) को अनुच्छेद 48A (पर्यावरणीय कर्त्तव्य) के साथ सामंजस्य स्थापित करने से प्रशासकों को अक्सर परस्पर विरोधी भूमिकाओं में डाल दिया जाता है।
- **भूमि की कमी:** घनी आबादी वाले या पहाड़ी क्षेत्रों में आवास/विकास के लिये गैर-वन भूमि की पहचान करना कठिन है।
- **समन्वय अंतराल:** अनेक एजेंसियाँ (वन, आवास, जनजातीय कल्याण, राजस्व) नौकरशाही विलंब और अधिकार संघर्ष उत्पन्न करती हैं।
- **प्रवर्तन संबंधी मुद्दे:** अवैध अतिक्रमण, लकड़ी माफिया और भ्रष्टाचार स्थायी भूमि उपयोग प्रबंधन को कमज़ोर करते हैं।
- **क्षमता संबंधी बाधाएँ:** संसाधनों, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी संतुलित व सुविचारित निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करती है।

नैतिक चुनौतियाँ

- **मानव कल्याण बनाम पर्यावरणीय नैतिकता:** गरीबों की तात्कालिक आवश्यकताओं (आवास) और प्रकृति के अंतर्निहित अधिकारों के बीच चयन करना।
- **उपयोगितावाद बनाम कर्तव्यनिष्ठ नैतिकता:** "अधिकतम जन का अधिकतम कल्याण" और संरक्षण के अविचर्च्य कर्तव्यों के मध्य संतुलन।

- **न्याय और समानता:** जनजातीय अधिकारों की रक्षा करना, उचित मुआवज़ा और पुनर्वास सुनिश्चित करना, कमज़ोर समूहों के शोषण से बचना।
- **अंतर-पीढ़ीगत न्याय:** आज की विकास आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिये पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा करना।
- **शासन की अखंडता:** यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कल्याण के नाम पर नीतियाँ निहित स्वार्थों के प्रभाव से मुक्त रहें।

(c) पर्याप्त विकल्प या नीतिगत हस्तक्षेप

- **इन-सीटू आवास विकास:** पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वनों को काटने की बजाय बंजर भूमि, क्षरित भूमि या अप्रयुक्त सरकारी भूमि का उपयोग कीजिये।
- **ऊर्ध्वाधर आवास मॉडल:** भूमि दबाव को कम करने के लिये निकटवर्ती शहरी क्षेत्रों में कम लागत वाले, उच्च घनत्व वाले आवास को बढ़ावा देना।
- **वन-संगत विकास:** न्यूनतम पारिस्थितिक पदचिह्न के साथ जनजातीय समुदायों के लिये इको-हाउसिंग अपनाना।
- **पुनर्वास और भूमि पूलिंग:** आजीविका एकीकरण के साथ पुनर्वास के लिये सुरक्षित, गैर-वन क्षेत्रों की पहचान करना।
- **कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना: वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू करना** और निर्णय लेने में ग्रामसभाओं को शामिल करना।
- **विकास के साथ पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना:** यदि परिवर्तन अपरिहार्य है तो प्रतिपूरक वनरोपण, जैवविविधता प्रतिसंतुलन और वन्यजीव गलियारे सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष

आवास के लिये वनों की कटाई, भले ही करुणामय प्रतीत हो, **नैतिक रूप से अदूरदर्शी और पर्यावरण के लिये विनाशकारी होगी**। सतत् विकास के लिये सामाजिक कल्याण और पारिस्थितिक संरक्षण में संतुलन आवश्यक है। सच्चा शासन ऐसे **नवीन विकल्पों की खोज में निहित है, जो गरीबों की गरिमा** और **प्रकृति के अधिकारों,** दोनों का सम्मान करते हों तथा इस प्रकार संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों एवं उसके मूल कर्त्तव्यों की भावना को साकार करें।

9. सुभाष राज्य सरकार में लोकनिर्माण विभाग के सचिव हैं। वह एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो अपनी योग्यता, निष्ठा और काम के प्रति समर्पण के लिये जाने जाते हैं। उन्हें लोकनिर्माण विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रभारी मंत्री का भरोसा एवं विश्वास प्राप्त है। अपनी जॉब प्रोफाइल के अलावा वह राज्य में नीति-निर्माण के लिये भी ज़िम्मेदार हैं। इसके अलावा वह योजना, डिज़ाइनिंग और निर्माण आदि से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं की देख-रेख करते हैं।

सुभाष के मंत्री राज्य के एक महत्त्वपूर्ण मंत्री हैं और उनके कार्यकाल के दौरान शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास एवं सड़क नेटवर्क में महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। वह निकट भविष्य में महत्त्वाकांक्षी सड़क निर्माण परियोजना शुरू करने के लिये उत्सुक हैं।

सुभाष मंत्री के साथ नियमित संपर्क में हैं और सड़क निर्माण परियोजना के विभिन्न तौर-तरीकों पर काम कर रहे हैं। मंत्री द्वारा परियोजना की औपचारिक सार्वजनिक घोषणा करने से पहले उनके द्वारा मंत्री के समक्ष नियमित बैठकें, चर्चाएँ और प्रस्तुतियाँ की जाती हैं। सुभाष का इकलौता बेटा विकास रियल एस्टेट बिज़नेस में है। उनके पुत्र को अपने सूत्रों से पता चलता है कि एक मेगा रोड परियोजना अंतिम चरण पर है और इस संबंध में किसी भी समय घोषणा होने की उम्मीद है। वह अपने पिता से आगामी प्रोजेक्ट का सटीक स्थान जानने के लिये बहुत उत्सुक है। उसे पता है कि आस-पास की ज़मीन की कीमतों में भारी उछाल आएगा। इस स्तर पर सस्ती कीमतों पर ज़मीन खरीदने से उसे भरपूर लाभ मिलेगा। वह प्रस्तावित परियोजना का स्थान दिखाने के लिये दिन-रात अपने पिता से विनती कर रहा है। उसने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस मामले को सीधे संभालेगा, क्योंकि इससे कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। यह इसलिये कि वह स्वाभाविक रूप से अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में ज़मीन खरीदता रहता है। अपने पुत्र की लगातार मिन्नतों के कारण वह दबाव महसूस करते हैं।

इस मामले का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू लोक निर्माण विभाग के मंत्री द्वारा उपर्युक्त परियोजना में अतिरिक्त/अनुचित रुचि से संबंधित है। उनके भतीजे की भी बड़ी आधारभूत संरचना वाली परियोजना कंपनी थी। दरअसल, मंत्री ने अपने भतीजे का भी उनसे परिचय कराया है और उन्हें आगामी प्रोजेक्ट में भतीजे के व्यावसायिक हितों का ध्यान रखने का संकेत भी दिया है। मंत्री ने उन्हें इस मामले में तेज़ी से काम करने के लिये प्रोत्साहित किया, क्योंकि मेगा रोड परियोजना की शीघ्र घोषणा और कार्यान्वयन से अपनी पार्टी एवं सार्वजनिक जीवन में उनकी स्थिति मज़बूत होगी।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में सुभाष भावी कार्रवाई को लेकर असमंजस में हैं।

(a) उक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिये।

(b) उपर्युक्त स्थिति में सुभाष के पास उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(c) उपर्युक्त में से कौन-सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा और क्यों?

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये)

हल करने का दृष्टिकोण:

- स्थिति को व्यक्तिगत/पारिवारिक दबाव और सार्वजनिक कर्त्तव्य के बीच हितों के टकराव के रूप में प्रस्तुत कीजिये।
- शासन में भाई-भतीजावाद, अंदरूनी दुरुपयोग और ईमानदारी जैसे नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिये।
- पुत्र/मंत्री के दबाव के आगे झुकने और इसके विपरीत दबावों का प्रतिरोध कर संस्थागत सुरक्षा उपाय अपनाने- इन दोनों विकल्पों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
- निष्कर्ष लिखिये कि प्रभाव का विरोध करना और सत्यनिष्ठा को कायम रखना सबसे नैतिक मार्ग है, जो संवैधानिक मूल्यों और आचार संहिता के अनुरूप है।

उत्तर: लोक सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे निजी अथवा राजनीतिक दबावों से परे रहकर ईमानदारी, निष्पक्षता और जनहित को सर्वोपरि रखें। इस परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ सचिव सुभाष को **दोहरे हित-संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है**- एक ओर उनका पुत्र वित्तीय लाभ हेतु अंदरूनी जानकारी के दुरुपयोग का दबाव डाल रहा है तो दूसरी ओर मंत्री अपने भतीजे की कंपनी को अनुचित लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह स्थिति शासन में **पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता** बनाए रखने की जटिल चुनौतियों को उजागर करती है।

(a) शामिल नैतिक मुद्दे

- **हितों का टकराव**- सुभाष को हितों के टकराव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका बेटा उन पर सड़क परियोजना के सटीक स्थान के संबंध में अंदरूनी जानकारी का खुलासा करने के लिये दबाव डाल रहा है, जिसका निजी अचल संपत्ति लाभ के लिये दुरुपयोग किया जा सकता है।
- **भाई-भतीजावाद और पक्षपात**- आगामी परियोजना में अपने भतीजे की कंपनी को प्राथमिकता देने का मंत्री का प्रयास भाई-भतीजावाद और पक्षपात को दर्शाता है, जो शासन में निष्पक्षता और निष्पक्ष आचरण को कमज़ोर करता है।
- **अधिकार का दुरुपयोग**- पुत्र का अनुरोध और मंत्री का सुझाव, दोनों ही अधिकार का दुरुपयोग दर्शाते हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लाभ के लिये आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करना चाहते हैं।
- **ईमानदारी बनाम भावनात्मक दबाव**- सुभाष अपनी व्यावसायिक ईमानदारी को बनाए रखने और अपने पुत्र के भावनात्मक दबाव के आगे झुकने के बीच दुविधा में हैं, क्योंकि पुत्र लगातार उनसे गोपनीय विवरण साझा करने की विनती कर रहा है।
- **सार्वजनिक हित बनाम निजी लाभ**- यह परिस्थिति सुभाष के उस कर्त्तव्य और नैतिक दायित्व को रेखांकित करती है, जिसमें उन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी परियोजना निष्पादन के माध्यम से सार्वजनिक हित की रक्षा करनी है, जबकि दूसरी ओर निजी अथवा पारिवारिक लाभ हेतु अंदरूनी मुनाफाखोरी के प्रलोभन का दबाव है।
- **कानून का शासन और पारदर्शिता**- किसी भी प्रकार की अंदरूनी जानकारी का लीक होना या अनुबंध देने में पक्षपात, सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं में कानून के शासन, पारदर्शिता और योग्यता-आधारित प्रतिस्पर्द्धा के सिद्धांतों को गंभीर रूप से कमज़ोर करता है।

(b) सुभाष के लिये उपलब्ध विकल्प

- **पुत्र के अनुरोध को स्वीकार करना**- परियोजना का विवरण निजी तौर पर साझा कीजिये।
  - *पक्ष:* पारिवारिक सौहार्द बना रहता है, पुत्र को आर्थिक लाभ होता है।
  - *विपक्ष:* अनैतिक, अंदरूनी जानकारी का दुरुपयोग, संभावित सतर्कता/कानूनी कार्रवाई, विश्वसनीयता की हानि।
- **मंत्री के भतीजे को अनुबंधों में लाभ पहुँचाना**
  - *पक्ष:* राजनीतिक सद्भावना और कॅरियर सुरक्षा बनाए रखता है।
  - *विपक्ष:* निष्पक्षता का उल्लंघन, भाई-भतीजावाद को बढ़ावा, भ्रष्टाचार के आरोपों का जोखिम।
- **दबावों का विरोध करना और ईमानदारी बनाए रखना**
  - *पक्ष:* व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखता है, सार्वजनिक हित की रक्षा करता है, प्रतिष्ठा की रक्षा करता है।
  - *विपक्ष:* पारिवारिक संबंधों में तनाव, मंत्री के साथ मतभेद, कॅरियर पर प्रतिकूल प्रभाव।

- **संस्थागत सुरक्षा उपाय**- व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम 2014 की धारा 4(1), ई-टेंडरिंग और कानूनी ढाँचे के तहत पारदर्शी समितियों के समक्ष निर्णय रखें।
  - *पक्ष:* व्यक्तिगत दबाव कम करता है, जवाबदेही को बढ़ावा देता है, निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।
  - *विपक्ष*: यह प्रक्रिया समय-साध्य हो सकती है और इससे निहित स्वार्थों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है।

(c) सुभाष के लिये सबसे नैतिक और उचित विकल्प यही है कि वे व्यक्तिगत एवं राजनीतिक दबावों का विरोध करें और ईमानदारी बनाए रखें। उन्हें यह करना चाहिये:

- विनम्रतापूर्वक, लेकिन दृढ़ता से अपने पुत्र को समझाइये कि अंदरूनी जानकारी साझा करना अवैध और अनैतिक है।
- मंत्री के भाई-भतीजावाद के प्रयास का विरोध करें और सुनिश्चित करें कि सभी अनुबंधों में **पारदर्शी प्रतिस्पर्द्धी बोली का पालन किया जाए**।
- यदि अनुचित दबाव जारी रहता है तो मामले को आगे बढ़ाएँ या संस्थागत सुरक्षा उपायों की मांग करें।

यह विकल्प सिविल सेवकों के लिये आचार संहिता, शासन में नैतिकता पर द्वितीय ARC सिफारिशों और **समानता, निष्पक्षता एवं ईमानदारी के संवैधानिक सिद्धांतों के** अनुरूप है।

निष्कर्ष

सुभाष के सामने चरित्र की कठिन परीक्षा है, जहाँ **व्यक्तिगत स्नेह और राजनीतिक दबाव उनके पेशेवर नैतिक मूल्यों से टकराते हैं।** यदि वह अनुचित प्रभावों का विरोध कर जनहित को सर्वोपरि रखते हैं तो इससे उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा ही सुरक्षित नहीं होगी, बल्कि संस्थागत अखंडता भी सुदृढ़ होगी। अंततः नैतिक शासन यह अपेक्षा करता है कि सिविल सेवक सार्वजनिक संसाधनों के विश्वस्त अभिरक्षक (trustee) के रूप में कार्य करें, न कि पारिवारिक अथवा राजनीतिक हितों के साधन के रूप में।

10. राजेश अपनी नौ साल की सेवा के साथ ग्रुप ए अधिकारी हैं। वे एक सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वह कार्यालय के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन और समन्वय हेतु ज़िम्मेदार हैं। वह कार्यालय की आपूर्ति, उपकरण आदि का प्रबंधन भी करते हैं।

राजेश अब काफी वरिष्ठ हो गए हैं और अगले एक या दो वर्षों में JAG (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड) में उनकी पदोन्नति की उम्मीद है। वह जानते हैं कि पदोन्नति DPC (विभागीय पदोन्नति समिति) द्वारा अधिकारी की पिछले कुछ वर्षों (लगभग 5 वर्ष) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR)/निष्पादन मूल्यांकन की जाँच के आधार पर होती है तथा ACR में अपेक्षित ग्रेडिंग के अभाव वाले अधिकारी को पदोन्नति के लिये उपयुक्त नहीं पाया जा सकता है। पदोन्नति खोने के परिणामस्वरूप वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी हानि हो सकती है और कॅरियर की प्रगति में बाधा आ सकती है। यद्यपि वह अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, फिर भी, वह अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन के बारे में अनिश्चित हैं। अब वह अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में उन्हें शानदार रिपोर्ट मिले।

प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राजेश नियमित रूप से अपने तात्कालिक बॉस के साथ बातचीत करते हैं, जो उनके एसीआर लिखने के लिये उनके रिपोर्टिंग अधिकारी हैं। एक दिन उन्होंने राजेश को बुलाया और कहा कि एक विशेष विक्रेता से प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटर से संबंधित स्टेशनरी खरीदें। राजेश अपने कार्यालय को इन वस्तुओं की खरीद के लिये कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देते हैं। उसी दिन संबंधित सहायक उसी विक्रेता की सभी स्टेशनरी सामग्री सम्मिलित करते हुए पैंतीस लाख रुपये का अनुमान-पत्र लाता है। यह देखा गया है कि उस संगठन में लागू GFR (सामान्य वित्तीय नियम) के अनुसार, कार्यालय मदों के लिये तीस लाख रुपये से अधिक के व्यय हेतु अगले उच्च अधिकारी (वर्तमान मामले में बॉस) की मंज़ूरी की आवश्यकता होती है। राजेश को पता है कि वरिष्ठ अधिकारी यह उम्मीद करेंगे कि ये समस्त खरीदारी उनके स्तर पर हो और वे उनकी ओर से इस तरह की पहल की कमी को पसंद नहीं करेंगे। कार्यालय के साथ विचार-विमर्श के दौरान उन्हें पता चला कि उच्च प्राधिकारी से मंज़ूरी प्राप्त करने से बचने के लिये व्यय को विभाजित करने की सामान्य प्रथा (जहाँ बड़े ऑर्डर को छोटे ऑर्डर की एक श्रृंखला में विभाजित किया जाता है) का प्रचलन है। यह प्रथा नियमों के विरुद्ध है और लेखापरीक्षा के प्रतिकूल संज्ञान में आ सकती है।

राजेश परेशान हैं। वह इस मामले में कोई निर्णय लेने में अनिश्चित हैं।

(a) उपरोक्त स्थिति में राजेश के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं?

(c) राजेश के लिये कौन-सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा और क्यों?

(250 शब्दों में) 20

हल करने का दृष्टिकोण:

- इस मामले को जीएफआर के तहत कॅरियर संबंधी चिंताओं और वित्तीय औचित्य के बीच संघर्ष के रूप में प्रस्तुत कीजिये।
- ईमानदारी बनाम कॅरियर प्रगति, हितों का टकराव तथा पारदर्शिता बनाम अनुरूपता जैसे नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिये।
- संभावित विकल्पों का विश्लेषण कीजिये।
- जीएफआर के अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष लिखिये।

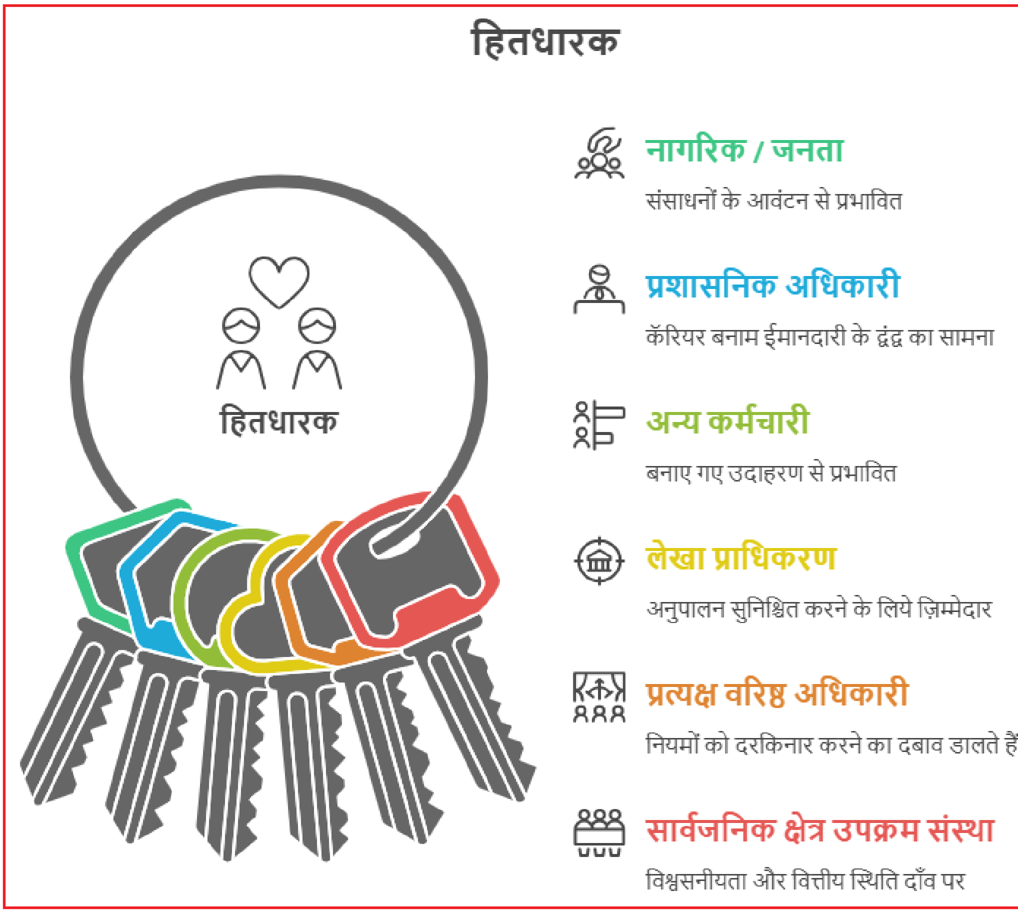

उत्तर: लोक सेवक सार्वजनिक संसाधनों के संरक्षक होते हैं और उनसे **ईमानदारी, जवाबदेही एवं नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती** है। इस मामले में, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रशासनिक अधिकारी राजेश पर अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा खरीद आदेशों को विभाजित करके वित्तीय नियमों को दरकिनार करने का दबाव है। उनकी दुविधा अपने कॅरियर की संभावनाओं की रक्षा और **सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) द्वारा निर्धारित वित्तीय औचित्य को बनाए रखने के बीच है।**

(a) राजेश के पास उपलब्ध विकल्प

- **वरिष्ठ की निहित अपेक्षा का पालन करें** - ऑर्डर को ₹30 लाख से कम में विभाजित करें और इसे स्वयं अनुमोदित करें।
- **उच्च प्राधिकारी से मंज़ूरी लें** - GFR नियमों के अनुसार मामले को अनुमोदन के लिये अगले प्राधिकारी को भेजें।

- **वरिष्ठ से स्पष्टीकरण मांगें** - वित्तीय सीमाएँ समझाइये और औपचारिक लिखित अनुमोदन का अनुरोध कीजिये।
- **अनुपालन में विलंब करना या उसे कमज़ोर करना** - तत्काल निर्णय लेने से बचें, उम्मीद करें कि मामला सुलझ जाएगा, हालाँकि इससे लेखापरीक्षा आपत्तियों का जोखिम रहता है।
- **औपचारिक रूप से आगे बढ़ें** - चिंताओं को दर्ज करें, पारदर्शिता बनाए रखें और यदि अनुचित दबाव बना रहे तो उससे ऊपर उठकर आगे बढ़ें।

(b) नैतिक मुद्दे शामिल

- **ईमानदारी बनाम कॅरियर प्रगति** - समझौता करने का दबाव एक अच्छे ACR के लिये नियम है।
- **हितों का टकराव** - व्यक्तिगत लाभ (पदोन्नति) और संगठन/सार्वजनिक धन के प्रति कर्त्तव्य के बीच।
- **अनुपालन बनाम अनुरूपता** - GFR का पालन करना बनाम आदेशों को विभाजित करने की सामान्य प्रथा का पालन करना।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही** - लेखापरीक्षा आपत्ति, वित्तीय अनियमितता और संस्थागत विश्वास के क्षरण का जोखिम।
- **व्यावसायिक साहस** - रिपोर्टिंग अधिकारी के अनुचित दबाव का विरोध करने की आवश्यकता।

(c) राजेश के लिये सबसे नैतिक कदम यही होगा कि वह वित्तीय नियमों का सख्ती से पालन करते हुए मामले को मंज़ूरी के लिये उच्च अधिकारी के पास भेजे। उसे यह करना चाहिये:

- अपने वरिष्ठ को स्पष्ट रूप से बताइये कि GFR के तहत 30 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिये उच्च स्तरीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- इस बात पर ज़ोर दीजिये कि आदेशों का विभाजन अनियमित और लेखापरीक्षा-संवेदनशील है।
- जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सभी निर्णयों का पारदर्शी तरीके से दस्तावेज़ीकरण करें।

यह दृष्टिकोण सार्वजनिक वित्त में कानून के शासन, निष्ठा और ईमानदारी का अनुपालन सुनिश्चित करता है। हालाँकि इससे अल्पावधि में उनके वरिष्ठ अधिकारी के नाराज़ होने का जोखिम हो सकता है, लेकिन इससे राजेश की प्रतिष्ठा की रक्षा होती है, भविष्य में अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचाव होता है और संस्थागत विश्वसनीयता बनी रहती है।

निष्कर्ष

राजेश का मामला **व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक कर्त्तव्य के बीच नैतिक तनाव को उजागर करता है**। उचित निर्णय यह है कि अनौपचारिक प्रथाओं के दबाव में आने की बजाय निर्धारित नियमों का पालन किया जाए। नैतिक शासन की मांग है कि सिविल सेवक सार्वजनिक संसाधनों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करें और **अल्पकालिक कॅरियर संबंधी विचारों की तुलना में दीर्घकालिक संस्थागत अखंडता को प्राथमिकता दें**। ऐसा करके, राजेश न केवल सार्वजनिक धन की रक्षा करते हैं, बल्कि एक ईमानदार अधिकारी के रूप में अपनी विश्वसनीयता भी मज़बूत करते हैं।

11. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम MGNREGA को पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना NREGA रूप में जाना जाता था। यह एक भारतीय समाज कल्याण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य संविधान में दिये गए 'काम करने के अधिकार' के प्रावधानों को पूरा करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण रोज़गार क्षेत्र के अंतर्गत 2006 में मनरेगा शुरू किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को मज़दूरी रोज़गार की कानूनी गारंटी देना है, जो प्रति परिवार अधिकतम प्रतिवर्ष 100 दिनों की सीमा के अधीन अकुशल शारीरिक श्रम कार्य के लिये तैयार हैं। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने का अधिकार है; जॉब कार्ड पंजीकृत को जारी किया जाता है; जॉब कार्ड धारक रोज़गार की तलाश कर सकता है; राज्य सरकार परिवारों को प्रतिपूरक दैनिक बेरोज़गारी भत्ते के रूप में पहले 30 दिनों के लिये न्यूनतम मज़दूरी का 25% और वर्ष की शेष अवधि के लिये मज़दूरी का भुगतान करेगी। विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा कार्य कराया गया।

आपको एक ज़िले का प्रभारी प्रशासक नियुक्त किया गया है। आपको विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा किये जा रहे मनरेगा कार्यों की निगरानी की ज़िम्मेदारी दी गई है। आपको सभी मनरेगा कार्यों की तकनीकी मंज़ूरी देने का अधिकार भी दिया गया है।

आपके अधिकार क्षेत्र में एक पंचायत में आपने देखा कि आपके पूर्ववर्ती ने कार्यक्रम का निम्न प्रकार से कुप्रबंधन किया है:

(i) वास्तविक रोज़गार चाहने वालों को धन वितरित नहीं किया गया है।

(ii) मज़दूरों की मस्टर रोल का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया है।

(iii) किये गए कार्य और किये गए भुगतान के बीच बेमेल है।

(iv) फर्ज़ी व्यक्तियों को भुगतान किया गया है।

(v) व्यक्ति की आवश्यकता को देखे बिना जॉब कार्ड दिये गए हैं।

(vi) निधियों का कुप्रबंधन तथा निधियों की कुछ हद तक हेरा-फेरी हुई है।

(vii) ऐसे स्वीकृत कार्य, जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे।

(a) उपरोक्त स्थिति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है तथा आप इस क्षेत्र में मनरेगा कार्यक्रम के समुचित संचालन को कैसे बहाल करेंगे?

(b) ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिये आप क्या कार्रवाई शुरू करेंगे?

(c) आप उपरोक्त स्थिति से कैसे निपटेंगे? (250 शब्द) 20

हल करने का दृष्टिकोण:

- मनरेगा में कुप्रबंधन को जवाबदेही और सामाजिक न्याय के उल्लंघन के रूप में पहचानें।
- ऑडिट, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और शिकायत निवारण जैसे तत्काल सुधारात्मक कदम उठाएँ।
- बायोमेट्रिक मस्टर रोल, जियो-टैगिंग और सख्त पूछताछ जैसे लक्षित उपायों को लागू कीजिये।
- ग्राम सभाओं को शामिल, अधिकारियों की क्षमता का निर्माण तथा शासन में पारदर्शिता और ईमानदारी को सुदृढ़ कीजिये।

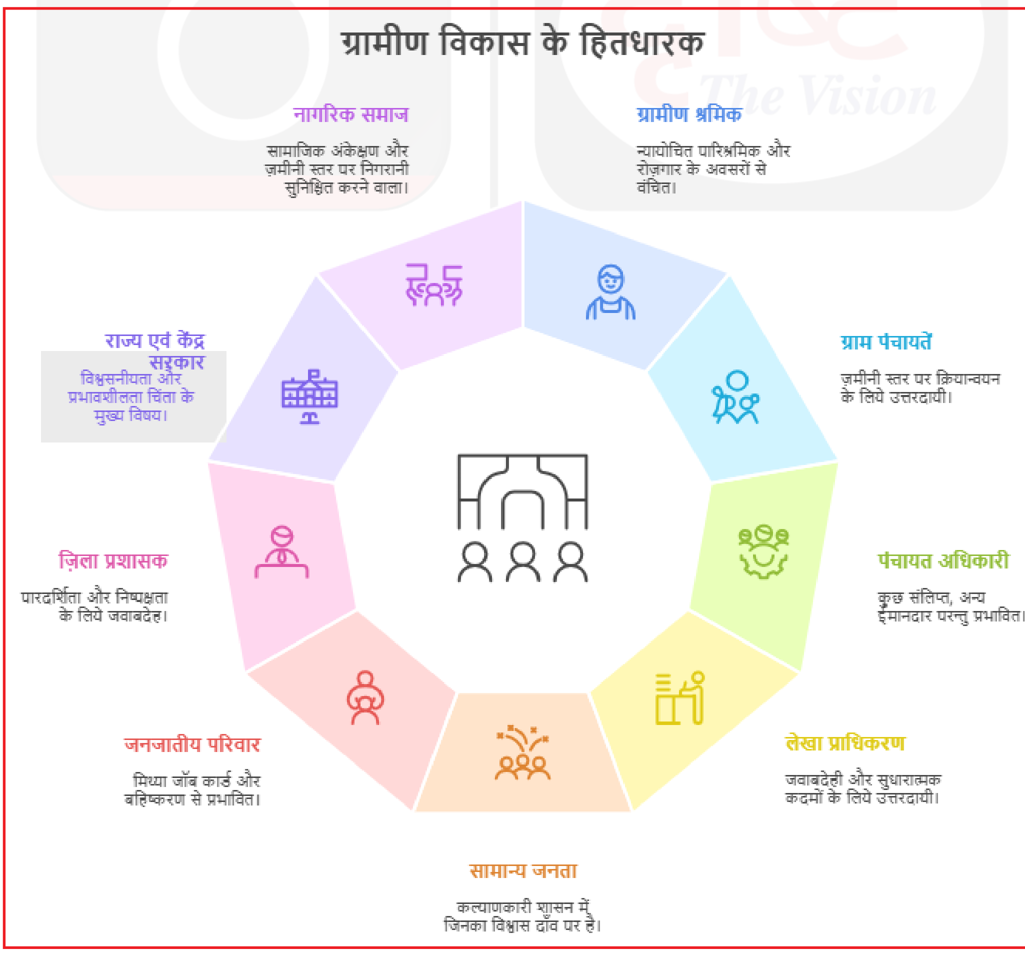

उत्तर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जो **कार्य के अधिकार की गारंटी** प्रदान करता है, जो ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। हालाँकि भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और रिसाव जैसी समस्याएँ इसके मूल उद्देश्यों को कमज़ोर कर देती हैं। ज़िले के प्रशासक के रूप में यह नैतिक दायित्व है कि **जवाबदेही, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय** को सुनिश्चित किया जाए, ताकि इस योजना का लाभ इसके वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँच सके।

(a) मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया गंभीर चिंता की होगी, क्योंकि ऐसा कुप्रबंधन न केवल गरीब परिवारों को उनके उचित वेतन से वंचित करता है, बल्कि शासन व्यवस्था में जनता के विश्वास को भी कमज़ोर करता है। कार्यप्रणाली को पुनः सुचारु करने के लिये मैं निम्न कदम उठाऊँगा:

- पिछले अभिलेखों का व्यापक ऑडिट करना।
- चल रही अनियमित प्रथाओं को रोकना तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) सुनिश्चित करना।
- ग्रामसभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ सामाजिक ऑडिट स्थापित करना।
- श्रमिकों के लिये शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करके विश्वास का पुनर्निर्माण करना।

(b) ज़िला प्रशासक के रूप में, मैं निम्नलिखित दृष्टिकोण उठाऊँगा:

- **रोज़गार चाहने वालों को धनराशि वितरित नहीं की गई:** मैं जॉब कार्डों का सत्यापन करूँगा और लंबित मज़दूरी को DBT के माध्यम से सीधे वास्तविक श्रमिकों के बैंक खातों में स्थानांतरित करूँगा।
    - यदि वास्तविक रोज़गार चाहने वालों को शामिल नहीं किया जाता है तो मैं अयोग्य लाभार्थियों या ज़िम्मेदार अधिकारियों से गलत तरीके से वितरित धनराशि की वसूली करूँगा, **ग्रामसभा सत्यापन** के माध्यम से वास्तविक रोज़गार चाहने वालों को शामिल करूँगा तथा यह सुनिश्चित करूँगा कि उनका लंबित वेतन सीधे DBT के माध्यम से हस्तांतरित किया जाए।
- **मस्टर रोल का रखरखाव न होना** – उपस्थिति की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये बायोमेट्रिक तथा फेस रिकग्निशन आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी एवं डिजिटल मस्टर रोल तैयार किये जाएँगे।
- **काम और भुगतान में असंगति** – कार्य पूर्ण होने के बाद ही धनराशि जारी की जाएगी, इसके लिये तृतीय-पक्ष सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा। पारदर्शिता और जवाबदेही हेतु परियोजना स्थलों की **जियो-टैगिंग** की जाएगी तथा समुदाय की भागीदारी एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिये विश्वसनीय स्वयंसेवी संगठनों (NGOs) द्वारा समय-समय पर सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) कराए जाएँगे।
- **अनुचित व्यक्तियों को भुगतान** – भूतपूर्व/नकली लाभार्थियों को समाप्त करने के लिये जॉब कार्डों का आधार, मतदाता सूची और अन्य आधिकारिक अभिलेखों से मिलान कर क्रॉस-वेरिफिकेशन किया जाएगा।
    - अन्य पहलों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि लाभार्थी सूचियों का सत्यापन करने के लिये **गैर-सरकारी संगठनों, सामुदायिक समूहों और ग्रामसभाओं को शामिल** करना, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना एवं फर्ज़ी प्रविष्टियों की पहचान करने के लिये लाभार्थी सूचियों को अन्य सरकारी **डेटाबेस (राशन कार्ड, मतदाता सूची, आयकर, ईडब्ल्यूएस/आय प्रमाण-पत्र)** के साथ जाँचना।
- जॉब कार्डों का अनुचित जारीकरण - ग्रामसभा द्वारा जाँच के माध्यम से जॉब कार्डों का पुनर्सत्यापन करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल वास्तविक और ज़रूरतमंद परिवारों को ही इसमें शामिल किया जाए।
- धन की हेराफेरी- विभागीय जाँच, व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी तय करना तथा गबन में शामिल लोगों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करना।
- **स्वीकृत, लेकिन अस्तित्वहीन कार्य** - परिसंपत्तियों की **जियो-टैगिंग लागू करना** और **स्वीकृत परियोजनाओं के अस्तित्व पर नज़र** रखने तथा उनका सत्यापन करने के लिये उपग्रह-आधारित निगरानी का उपयोग करना।

(e) स्थिति से निपटना

- **निर्णायक सुधारात्मक कदम उठाना:** चल रही अनियमितताओं को रोकने हेतु तुरंत सुधारात्मक कदम उठाना, साथ ही ईमानदार और परिश्रमी कर्मचारियों के साथ निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
- **समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** मनरेगा में स्थानीय स्वामित्व को मज़बूत करने के लिये **सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट)** को अनिवार्य बनाया जाए और पंचायत भवनों में **पारदर्शी दीवारें** लगाकर कार्य तथा भुगतान का विवरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना।
- **प्रशासनिक क्षमता का निर्माण:** पंचायत अधिकारियों को उचित अभिलेख-रखरखाव, वित्तीय प्रबंधन और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिये प्रशिक्षण तथा क्षमता-विकास सहयोग प्रदान करना।
- **भ्रष्टाचार मामलों की रिपोर्टिंग:** धन के दुरुपयोग और गबन के गंभीर मामलों को सतर्कता प्राधिकरणों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कड़ी कार्रवाई के लिये भेजना।
- **नैतिक प्रशासन सुनिश्चित करना:** कार्यक्रम के कार्यान्वयन में **ईमानदारी, जवाबदेही और समावेशिता** के सिद्धांतों को मज़बूत करना तथा इन मूल्यों को ज़िला प्रशासन की आधारशिला बनाना।

निष्कर्ष:

एक प्रशासक के रूप में मेरी ज़िम्मेदारी है कि मनरेगा के संवैधानिक दायित्व, यानी काम के अधिकार की गारंटी, को पूरा किया जाए। पारदर्शिता लागू करके, तकनीक को अपनाकर, ग्रामसभाओं को सशक्त बनाकर और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़े कदम उठाकर इस योजना को सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण सशक्तीकरण के एक प्रभावी साधन के रूप में पुन: स्थापित किया जा सकता है।

12. अशोक पूर्वोत्तर राज्य के एक सीमावर्ती ज़िले के मंडल आयुक्त हैं। कुछ वर्ष पहले, सेना ने निर्वाचित नागरिक सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद पड़ोसी देश पर कब्ज़ा कर लिया था। देश में विशेषरूप से पिछले दो वर्षों से गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है। हालाँकि विद्रोही समूहों द्वारा अपनी सीमा के पास कुछ आबादी वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के कारण आंतरिक स्थिति और बिगड़ गई। सैन्य और विद्रोही समूहों के बीच तीव्र संघर्ष के कारण हाल के दिनों में नागरिक हताहतों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। इसी बीच अशोक को एक रात में सीमा चौकी पर तैनात पुलिस से सूचना मिली कि लगभग 200-250 लोग, जिनमें मुख्यरूप से महिलाएँ और बच्चे हैं, सीमा पार करके हमारी सीमा की ओर आने की कोशिश कर रहे थे। इस समूह में सैन्य वर्दीधारी हथियारों के साथ लगभग 10 सैनिक शामिल हैं, जो सीमा पार करना चाहते हैं। महिलाएँ और बच्चे रो रहे हैं एवं मदद की भीख मांग रहे हैं। उनमें कुछ घायल हैं और बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, उन्हें तुरंत चिकित्सा की ज़रूरत है। अशोक ने राज्य के गृह सचिव से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन खराब मौसम के कारण खराब कनेक्टिविटी के कारण ऐसा करने में असफल रहे।

(a) इस स्थिति से निपटने के लिये अशोक के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) अशोक को किन नैतिक और कानूनी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है?

(c) आपके विचार से अशोक के लिये कौन-सा विकल्प अपनाना अधिक उपयुक्त होगा और क्यों?

(d) वर्तमान स्थिति में वर्दीधारी सैनिकों के साथ व्यवहार करते समय सीमा सुरक्षा पुलिस द्वारा क्या अतिरिक्त एहतियाती उपाय किये जाने चाहियें?

(250 शब्द) 20

हल करने का दृष्टिकोण:

- इस मामले को मानवीय कर्त्तव्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच टकराव के रूप में प्रस्तुत कीजिये।
- विकल्प प्रस्तुत कीजिये: सभी को प्रवेश की अनुमति देना, सभी को प्रवेश से वंचित करना, केवल नागरिकों को प्रवेश देना, सीमा पर ही राहत और चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना, सेना (आर्मी) को स्थिति संभालने के लिये शामिल करना।
- दुविधाओं को उजागर कीजिये: करुणा बनाम कानून, संप्रभुता बनाम शरणार्थी अधिकार, तात्कालिकता बनाम पदानुक्रम।
- नागरिकों की सहायता, सैनिकों को निरस्त्र करने और हिरासत में लेने, उच्च अधिकारियों को सूचित करने जैसी संतुलित कार्रवाई की सिफारिश कीजिये।

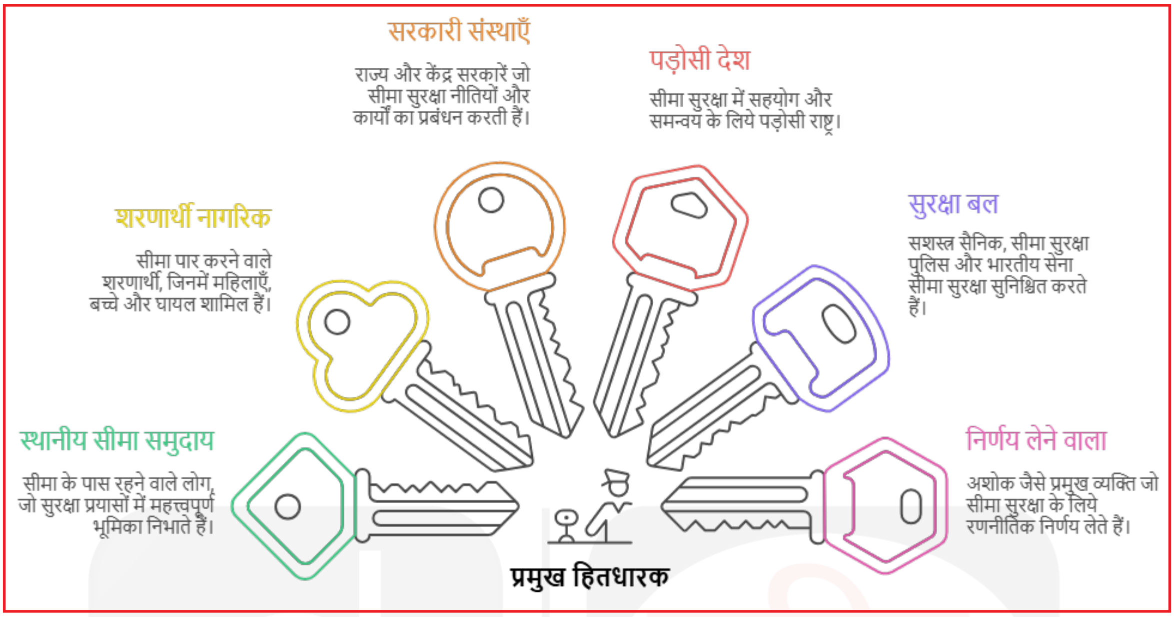

उत्तर: मंडल आयुक्त के रूप में अशोक एक अत्यंत जटिल मानवीय और सुरक्षा संकट का सामना कर रहे हैं। पड़ोसी संघर्षग्रस्त देश से आए बड़ी संख्या में नागरिक, जिनमें महिलाएँ और बच्चे शामिल हैं, सशस्त्र सैनिकों के साथ भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। तत्काल उच्चस्तरीय मार्गदर्शन के अभाव में, अशोक को **मानवीय ज़िम्मेदारी, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधिक पालन—इन तीनों के बीच संतुलन** स्थापित करना होगा।

(a) अशोक के पास उपलब्ध विकल्प

- सशस्त्र सैनिकों सहित सभी को **तत्काल प्रवेश की अनुमति** तथा आश्रय एवं सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए सभी को **प्रवेश से वंचित करना**।
- केवल नागरिकों को मानवीय आधार पर प्रवेश की अनुमति दी जाए, जबकि उच्च अधिकारियों के निर्देश तक **सैनिकों को हिरासत में रखा जाए या उनके हथियार हटा** दिये जाएँ।
- अगले आदेश तक औपचारिक रूप से प्रवेश की अनुमति दिये बिना, सीमा पर ही अस्थायी **चिकित्सा सहायता** और राहत प्रदान करना।
- स्थिति से सुरक्षित रूप से निपटने के लिये **सेना/अर्द्ध-सैनिक बलों के साथ त्वरित समन्वय** स्थापित करना।

(b) नैतिक और कानूनी दुविधाएँ

- **मानवीय दायित्व बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा:** घायल महिलाओं/बच्चों को बचाना बनाम सशस्त्र लड़ाकों से उत्पन्न खतरा।
- **विधि का शासन बनाम करुणा:** विदेशी सशस्त्र व्यक्तियों के प्रवेश पर कानूनी प्रतिबंध बनाम संकटग्रस्त नागरिकों की रक्षा का नैतिक दायित्व।
- **संप्रभुता बनाम शरणार्थी अधिकार:** सीमाओं की रक्षा करना बनाम अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी और मानवाधिकार संधियों का सम्मान करना।
- **तत्काल कार्यवाही बनाम पदानुक्रम का पालन:** तात्कालिक निर्णय लेना बनाम उच्च स्तर की स्वीकृति की प्रतीक्षा करना।

(c) सबसे अच्छा तरीका एक संतुलित दृष्टिकोण होगा:

- **नागरिकों को मानवीय आधार पर तत्काल प्रवेश दिया जाए,** उन्हें चिकित्सीय सहायता, भोजन और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया जाए।
- **सशस्त्र सैनिकों को निहत्था कर अलग से हिरासत में रखा जाए,** यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके हथियार किसी भी नागरिक क्षेत्र में प्रवेश न करें और उन्हें सेना/अर्द्ध-सैनिक बलों के हवाले किया जाए।

- **प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का पूरा अभिलेखन (डॉक्यूमेंटेशन) किया जाए** तथा यथाशीघ्र उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाए, साथ ही खुफिया एजेंसियों को भी जानकारी साझा की जाए।
- **जैसे ही स्थिति अनुकूल हो**, विदेश मंत्रालय के समन्वय से नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्यावर्तन/निर्वासन प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

यह विकल्प राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करते हुए **करुणा एवं जीवन की गरिमा (अनुच्छेद 21)** के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। यह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी मानदंडों के तहत मानवीय दायित्वों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के भी अनुरूप है, भले ही **भारत वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन** पर हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है।

(d) सीमा सुरक्षा पुलिस के लिये अतिरिक्त एहतियाती उपाय

- **तत्काल निरस्त्रीकरण** – सभी वर्दीधारी सैनिकों को सीमा प्रवेश बिंदु पर ही निहत्था किया जाए, ताकि भारतीय क्षेत्र में किसी भी सशस्त्र खतरे को रोका जा सके।
- **तलाशी और पहचान सत्यापन** – सैनिकों की पूरी तरह से तलाशी लेकर उनके दस्तावेज़ों की जाँच की जाए, ताकि उनकी राष्ट्रीयता, इकाई और गुटीय संबंधों की पुष्टि हो सके।
- **नागरिकों से अलगाव** – सशस्त्र व्यक्तियों को महिलाओं, बच्चों और अन्य नागरिक शरणार्थियों से सख्ती से अलग रखा जाए, ताकि किसी भी प्रकार की धमकी या संभावित हिंसा न हो।
- **सुरक्षा बलों को हस्तांतरण** – सैनिकों को निरस्त्रीकरण के बाद सेना या अर्द्ध-सैनिक बलों को सौंपा जाए, ताकि पूछताछ, खुफिया जानकारी एकत्र करने और विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा सके।
- **सीमा पर कड़ी निगरानी** – चौकियों पर निगरानी एवं गश्त को और मज़बूत किया जाए, ताकि वेश बदलकर घुसपैठ, हथियारों की तस्करी या शरणार्थियों के रूप में छिपकर प्रवेश करने वाले असामाजिक तत्त्वों को रोका जा सके।

निष्कर्ष

अशोक की स्थिति मानवीय नैतिकता और **राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं** के बीच नाज़ुक संतुलन को दर्शाती है। सबसे **नैतिक मार्ग संप्रभु सुरक्षा से समझौता** किये बिना निर्दोष लोगों की रक्षा करना है। नागरिकों के प्रति करुणा दिखाकर और सशस्त्र कर्मियों पर कड़ा नियंत्रण लागू करके, वह मानवीय गरिमा तथा राज्य के उत्तरदायित्व, दोनों को कायम रखते हैं।